अध्याय-5

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 5

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

5.1 ₹ 2.76 करोड़ का गबन

हरियाणा सरकार के ई-वेतन सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन में सिस्टम की कमियों तथा खजाना कार्यालय की ओर से लापरवाही के कारण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी के अधिकारियों ने प्राप्तकर्ता कर्मचारियों के यूनीक कोड में हेरफेर किया और ₹ 2.76 करोड़ का गबन किया।

हरियाणा सरकार ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मासिक आधार पर वेतन बिल तैयार करने के बोझ को कम करने और खजाना संचालन की दक्षता में सुधार के लिए सभी सरकारी विभागों में ई-वेतन की अवधारणा प्रारंभ की (अगस्त 2011)। प्रत्येक कर्मचारी को उसके संबंधित बैंक को उसके वेतन तथा अन्य देय राशि के अंतरण के लिए छ: वर्णों का एक यूनीक कोड दिया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता का यूनीक कोड कहा जाता है। आगे निर्देशों के अनुसार (24 जनवरी 2012), प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड का आबंटन ऑनलाइन किया गया था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी किसी भी प्राप्तकर्ता को प्राप्तकर्ता का यूनीक कोड आबंटित करने के लिए ई-वेतन मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। ई-वेतन पोर्टल पर, कर्मचारी लॉगिन सुविधा है जिसे प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड के साथ प्रयोक्ता नाम और पासवर्ड के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। कर्मचारी के पास प्रोफाइल को एडिट करने, पासवर्ड बदलने और प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड को लॉक-अनलॉक करने के तीन विकल्प हैं। प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड को लॉक-अनलॉक करते हुए, कर्मचारी अपने यूनीक कोड को लॉक कर सकता है और भविष्य में यदि कोई प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड में अपना विवरण बदलना चाहता है, तो उसे पहले प्रयोक्ता से अपने यूनीक कोड विवरण को अनलॉक करने के लिए अनुरोध करना होगा, तब तक उसका विवरण परिवर्तन योग्य नहीं होगा।

बिलों को पारित करने के लिए दो-तरफा प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है जिसमें डीलिंग लिपिक को 'मेकर' कहा जाता है जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी से मंजूरी प्राप्त करता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को 'चेकर' कहा जाता है जो बदले में विशेष यूनीक कोड वाले कर्मचारी को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए मंजूरी के विवरण के बारे में स्वयं को संतुष्ट करता है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी से संबंधित चयनित खजाना वाउचरों की नमूना-जांच के दौरान (सितंबर 2021) यह पाया गया कि ई-वेतन मॉड्यूल के माध्यम से सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने के बजाय लिपिक ने मैनुअल फाइल बनाई और भुगतान के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त की। इन संस्वीकृतियों को डीलिंग लिपिक द्वारा ई-वेतन सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन पर अपलोड किया गया था, जिनकी बाद में चेकर अर्थात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। इसे भुगतान के लिए खजाना

में ऑनलाइन भेजा गया था। खजाना अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली) सृजित किया और डीलिंग लिपिक ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त किए तथा आदाताओं को भुगतान जारी करने के लिए इसे संबंधित बैंक को भेज दिया।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में नवंबर 2020 से अगस्त 2021 तक की अवधि से संबंधित खजाना वाउचरों की नमूना-जांच से पता चला कि पांच मामलों में, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण का एक से अधिक भुगतान तथा एक मामले में सामान्य भविष्य निधि का भुगतान कई खातों में किया गया था। यह देखा गया था कि ये भुगतान दो अनधिकृत खातों में किए गए थे तथा निम्नलिखित प्रणालीगत कमियों के कारण ₹ 54.27 लाख का संदिग्ध गबन हुआ:

1. **भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली के बावजूद, सेवानिवृत्त व्यक्ति को किसी भी भुगतान के लिए अनुमोदन तथा उसके विरुद्ध स्वीकृति को भौतिक रूप से प्रसंस्करित किया जाना जारी है, जिसके कारण सेवानिवृत्त व्यक्ति के छुट्टी नकदीकरण के एकल भुगतान के लिए एकल/एकाधिक स्वीकृतियां अपलोड करना संभव हो गया है।**
2. **लाभार्थी के किसी औपचारिक अनुरोध के बिना खाता संख्या बदल दी गई थी। आगे, मृत्यु के मामले में, मृतक के नाम को हटाने की प्रक्रिया, और सभी बकाया के लिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए नया यूनिक कोड बनाना, इस मामले में नहीं किया गया था और बैंक खाता संख्या बदलकर हेरफेर किया गया था।**
3. **आहरण एवं संवितरण अधिकारी भुगतान आदेशों पर यह झूठा अनुमोदन देने की सीमा तक उत्तरदायी था कि बैंक खाता, राशि और उल्लिखित व्यक्तियों के विवरण सही थे। बिना सतर्कता जांच के ही खजाना कार्यालय से बिल पास करा दिए गए।**
4. **इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन में भी प्रणालीगत कमी थी क्योंकि एप्लिकेशन ने एक बैंक खाता नंबर के लिए एक से अधिक प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड और एक से अधिक प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड के लिए एक बैंक खाता नंबर के उपयोग की अनुमति दी थी।**
5. **यह भी देखा गया था कि केवल मेकर और चेकर ही दो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेतन बिल, चिकित्सा बिल, सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान बिल, सामान्य भविष्य निधि नॉन-रिफंडेबल एडवांस आदि जैसे स्थापना संबंधी बिलों में हेराफेरी की। इस प्रकार, मंडलीय गठन एवं खजाना के स्तर पर आंतरिक नियंत्रणों की कमजोरी/आंतरिक नियंत्रणों की कमी थी।**

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2021) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच की गई थी (नवंबर 2021)। यह पुष्टि की गई थी कि लिपिक ने फरवरी 2021 से सितंबर 2021 के दौरान अपने रिश्तेदारों के दो बैंक खातों में ₹ 2.76 करोड़ की राशि के कुल 81 लेन-देन अपने रिश्तेदारों के खाता नंबरों के साथ बैंक खाता नंबरों को

बदलकर/प्रतिस्थापित कर सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के आदाता के यूनिक कोड के विरुद्ध किए। जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रक्रियात्मक कमियों को भी प्रकट किया गया जिसके कारण कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चरखी दादरी के स्तर पर कपटपूर्ण भुगतान हुए।

- **लिपिक के पास ई-वेतन पोर्टल के मेकर और चेकर का आईडी एवं पासवर्ड था। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड, ई-बिलिंग के साथ-साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग (डोंगल के माध्यम से) दोषी कर्मचारी अर्थात् जन स्वास्थ्य मंडल के लिपिक द्वारा किया जा रहा था। चूंकि एक ही व्यक्ति द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों का उपयोग किया जा रहा था इसलिए दोषी कर्मचारी ने लाभार्थियों के बैंक खातों को अपने रिश्तेदारों के खातों से बदल दिया। उसी अपराधी व्यक्ति को खजाना में मैसेंजर का कार्य तथा वेतन एवं अन्य स्थापना बिल तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।**
- **आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने लिपिक द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने की अनुमति दी जिसके कारण कर्मचारियों के प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड में डेटा का परिवर्तन हुआ।**
- **खजाना कार्यालय भी कुछ बकाया वेतन एवं छुट्टी नकदीकरण बकाया बिलों में संस्वीकृति, बकाया प्रमाण-पत्र, देय एवं आहरित विवरण की जांच करने में विफल रहा।**
- **अन्य प्रक्रियागत चूकें यह थीं कि कार्यालय में सृजित बिलों की प्रविष्टि करने के लिए कोई बिल रजिस्टर नहीं बनाया गया था, खजाना को बिल सौंपने के लिए कोई टोकन रजिस्टर नहीं रखा गया था और कार्यालय में बिलों की कोई कार्यालय प्रति नहीं रखी गई थी। साथ ही, किसी भी कैशबुक का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।**

इस प्रकार ई-वेतन सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशनों में प्रणाली की कमियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने तथा खजाना कार्यालय की ओर से लापरवाही के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी के अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड में हेरफेर किया तथा ₹ 2.76 करोड़ का गबन किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (29 अप्रैल 2022) अपर मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि मामला सतर्कता के पास भेजा गया है और राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस संबंध में दो अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट भी की गई है। अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि प्रणाली/ई-वेतन एप्लिकेशन में सुधार के लिए सिफारिशों को वित्त विभाग के पास भी भेजा गया है और इस संबंध में निर्णय अभी प्रतीक्षित है।

5.2 स्टॉक और वस्तुसूची प्रबंधन

स्टॉक लेनदेन के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया से विचलन था। स्टॉक उचंत के लेखांकन वर्गीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसके कारण कार्य प्रारंभ किए बिना या बंद किए गए कार्यों के लिए व्यय की बुकिंग हुई। ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली का प्रयोक्ता मैनुअल अद्यतन नहीं किया गया था। कोडल प्रावधानों के अनुसार स्टोर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। अप्रयुक्त माल लंबे समय से स्टोर में पड़ा था और बेकार/स्क्रैप मदों की वास्तविक मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका था। अप्रचलित या बेकार मदों का निपटान नहीं किया गया था।

5.2.1 प्रस्तावना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तथा शहरी क्षेत्रों में प्रभावी सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग केंद्रीय रूप से पाइपों, फिटिंग, ब्लीचिंग पाउडर, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड आदि जैसी स्टॉक की मदों की खरीद करता है। प्रमुख अभियंता के कार्यालय में सामग्री प्रबंधन विंग मंडलीय संरचनाओं द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं को समेकित करने तथा महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान को वार्षिक दर अनुबंध पर इनकी व्यवस्था करने के लिए समेकित आवश्यकताओं को पृष्ठांकित करने के लिए उत्तरदायी है। वार्षिक दर अनुबंधों के विरुद्ध सामग्री प्रबंधन विंग द्वारा आपूर्ति आदेश दिए जाते हैं और आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके स्थान पर मंडलीय संरचनाओं को स्टॉक की मदें सुपुर्द की जाती हैं। संपूर्ण राज्य में 38 स्टोर (दिसंबर 2021 तक) हैं, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता कार्यकारी अभियंता द्वारा की जाती है। 7 दिसंबर 2021 को विभाग के पास ₹ 233.49 करोड़ की कुल स्टॉक की वस्तुसूची थी (जिसमें से ₹ 34.03 करोड़ उचंत शीर्ष के अंतर्गत था)।

5.2.2 स्टॉक के लेन-देन के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्र एवं राज्य सरकार के लिए समान लेखा सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इनमें अन्य के अलावा, सरकारी लेखांकन नियम, 1990 तथा प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों की सूची शामिल है। सिद्धांतों के अनुसार निर्माण कार्य विभागों द्वारा सामग्री (स्टॉक) की प्राप्ति से संबंधित लेन-देन में कार्य हेतु जारी, कार्य से स्टोर पर वापसी तथा लेखांकन इकाई के अंदर अंतर इकाई हस्तांतरण में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

(i) प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार संबंधित राजस्व/पूंजीगत प्रमुख शीर्ष के लघु शीर्ष उचंत के अंतर्गत उप-शीर्ष स्टॉक के अंतर्गत डेबिट प्रविष्टि के माध्यम से परिसंपत्ति के रूप में खरीदी गई सामग्री की खरीद और वर्गीकरण। उचंत संचयिता के अंतर्गत स्टॉक का यह वर्गीकरण स्टॉक उचंत के रूप में जाना जाता है।

(ii) स्टॉक उचंत को क्रेडिट किया जाता है और संबंधित कार्य के खाते में कार्य करने के लिए सामग्री के हस्तांतरण पर डेबिट किया जाता है।

(iii) कार्यों के निष्पादन के दौरान सामग्री की प्राप्ति, भंडारण तथा उपयोग की निगरानी के लिए साइट पर सामग्री रजिस्टर रखा जाता है।

(iv) संबंधित कार्य के लेखांकन वर्गीकरण को क्रेडिट करके और स्टॉक उचंत को डेबिट करके अधिशेष सामग्री को स्टोर में वापस कर दिया जाता है।

स्टॉक-उचंत के अंतर्गत सामग्री की खरीद के लिए ऐसे लेखांकन वर्गीकरण के अंतर्गत बजट के प्रावधान की आवश्यकता होती है।

5.2.3 निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया से विपथन के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडलों में पाई गई अनियमितताएं

वित्तीय वर्ष 2015-16 से, राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्टॉक-उचंत के अंतर्गत बजटीय आबंटन करना बंद कर दिया। स्टॉक-उचंत के अंतर्गत बजट के अभाव में स्टॉक की खरीद को कार्यों के लेखांकन वर्गीकरण के अंतर्गत सीधे वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जुलाई 2014 से सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की ई-बिलिंग प्रणाली (मॉड्यूल) कार्यान्वित की। ई-बिलिंग प्रणाली में विभाग ने स्टॉक-उचंत से संबंधित लेखांकन वर्गीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, स्टॉक के लेन-देन के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने स्टॉक के लेन-देन के लिए वैकल्पिक लेखांकन प्रक्रिया तैयार नहीं की थी। कार्यों के लेखांकन वर्गीकरण के अंतर्गत सामग्री की खरीद के व्यय को सीधे दर्ज करके, कमियों जैसे वास्तविक उपयोग के बिना कार्य पर उपयोग किए गए स्टॉक को दर्शाना, लंबे समय तक कार्यों पर अप्रयुक्त स्टॉक, अन्य कार्यों के लिए स्टॉक के हस्तांतरण में लेखा-बहियों में कोई लेन-देन नहीं दर्शाता है, आदि देखे गए।

प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा के कार्यालय सहित चार[1] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडलों की अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में स्टॉक के उपयोग की जांच की गई थी। अन्य पांच[2] मंडलों की भी जनवरी 2021 माह में नमूना-जांच की गई थी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया था:

5.2.3.1 पाइपों की खरीद और कार्य आरंभ किए बिना कार्यों के लिए व्यय की बुकिंग

यह देखा गया था कि महाग्राम योजना के अंतर्गत दो कार्यों में ₹ 3.06 करोड़ मूल्य के डक्टाइल आयरन पाइप खरीदे गए और कार्यों को वास्तविक रूप से प्रारंभ किए बिना निर्माण कार्यों के लिए बुक किया गया था जैसा कि नीचे **तालिका 5.2.1** में दर्शाया गया है:

---

[1] (i) सिरसा संख्या 2, (ii) सोहना, (iii) सोनीपत संख्या 2 और (iv) तोशाम।

[2] (i) अंबाला कैंट, (ii) कैथल संख्या 1, (iii) कुरुक्षेत्र, (iv) नारायणगढ़ और (v) यमुनानगर संख्या 2.

तालिका 5.2.1: कार्यों को वास्तविक रूप से प्रारंभ किए बिना कार्यों के लिए व्यय की बुकिंग

क्र. सं.	मंडल और कार्य का नाम	अनुमानित राशि ₹ लाख में	कार्य हेतु पाइपों की बुकिंग की तिथि	जारी किए गए/ जारी किए नहीं गए पाइप	बुक किए गए पाइपों का मूल्य ₹ लाख में	जनवरी 2021 तक कार्य की स्थिति
1	सोहना: जलापूर्ति योजना का विस्तार जिला गुरुग्राम (महाग्राम योजना के अंतर्गत)	917.60 (अप्रैल 2017)	नवंबर 2018	अभी तक (मार्च 2022) जारी नहीं किया गया	156.98	कार्य ठेकेदार को आबंटित नहीं किया गया
2	नारायणगढ़: जलापूर्ति योजना का विस्तार बिलासपुर (महाग्राम योजना के अंतर्गत)	567.51 (जनवरी 2019)	मार्च 2020	ठेकेदार को 9,380 मीटर में से 1,520 मीटर पाइप जारी किए गए थे	149.36	कार्य अगस्त 2021 में ठेकेदार को आबंटित किया गया था।
कुल					**306.34**	

इस प्रकार, स्टॉक उचंत का रख-रखाव न करने के कारण पाइप की खरीद सीधे निर्माण कार्यों के लिए बुक की गई थी। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के लेखांकन प्रबंधन साफ्टवेयर एवं ई-बिलिंग मॉड्यूल में कमियों के कारण विभाग इन पाइपों का अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग करने में असमर्थ रहा जो आज तक भौतिक रूप से स्टॉक में पड़े थे।

5.2.3.2 पाइप का उपयोग न करना

यह देखा गया था कि ₹ 1.84 करोड़ की राशि के विभिन्न आकार के 6,112.45 मीटर डक्टाइल आयरन पाइप मई 2014 से फरवरी 2018 तक अप्रयुक्त पड़े थे जैसा कि नीचे **तालिका 5.2.2** में दिया गया है:

तालिका 5.2.2: चार मंडलों में उपयोग किए बिना रहे पाइपों की मात्रा और मूल्य

मंडल का नाम	पाइपों की मात्रा (मीटर में)	राशि (₹ लाख में)
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तोशाम	589.55	26.79
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग संख्या 2, सिरसा	500.00	36.43
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अंबाला कैंट	3708.90	93.45
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग संख्या 1, कैथल	1,314.00	27.27
कुल	**6,112.45**	**183.94**

स्टोर बिन कार्ड के विश्लेषण से पता चला कि ये पाइप विभिन्न जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के लिए खरीदे गए थे। ये पाइप अधिशेष थे किंतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के लेखांकन प्रबंधन सॉफ्टवेयर और ई-बिलिंग मॉड्यूल में कमियों के कारण अन्य निर्माण कार्यों/मंडलों में हस्तांतरित नहीं किए जा सके और ₹ 1.84 करोड़ की निधियां अवरुद्ध रही।

5.2.3.3 बंद कार्यों के लिए पाइप बुक रहे

यह देखा गया था कि मार्च 2011 तथा जनवरी 2021 के मध्य अलग-अलग अवधियों के बाद से ₹ 2.68 करोड़ की लागत के विभिन्न आकार के 28,465.50 मीटर डक्टाइल आयरन पाइप पांच मंडलों में पड़े हुए थे, इस तथ्य के बावजूद कि जिन कार्यों के लिए इन पाइपों को बुक किया गया था, उन्हें पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था। तथापि, पाइपों को अन्य कार्यों में हस्तांतरित नहीं किया जा सका। विवरण नीचे **तालिका 5.2.3** में दिया गया है:

तालिका 5.2.3: बंद कार्यों के लिए बुक रहे पाईपों की मात्रा एवं मूल्य

क्र. सं.	मंडल का नाम	अप्रयुक्त डक्टाइल आयरन पाइप मीटर में	अप्रयुक्त पाइपों की लागत (₹ लाख में)	बंद कार्यों की संख्या जिनसे पाइप संबंधित है	जनवरी 2022 से अप्रयुक्त पड़े पाइप	
					से	तक
1	तोशाम	4,615.00	47.66	11	मार्च 2013	अगस्त 2018
2	सोनीपत संख्या 2	20,431.50	185.44	21	मार्च 2011	अगस्त 2016
3	कैथल संख्या 1	856.00	12.67	1	मई 2018	-
4	नारायणगढ़	1,233.00	11.75	1	फरवरी 2020	जनवरी 2021
5	यमुनानगर संख्या 2	1,330.00	10.09	2	सितंबर 2016	-
कुल		**28,465.50**	**267.61**			

5.2.3.4 पाइपों की अनुपलब्धता के कारण कार्य आरंभ होने में विलंब

एक ओर जहां पूर्ण किए गए कार्यों, अधिशेष स्टॉक आदि के लिए बुक किए गए मंडलों के पास अधिशेष स्टोर पड़ा हुआ था, कुछ कार्य पाइप न मिलने के कारण समय पर प्रारंभ नहीं किए जा सके। यह देखा गया था कि मंडल संख्या 2, सोनीपत के स्टोर में डक्टाइल आयरन पाइप की अनुपलब्धता के कारण दो कार्यों में 12 माह से 30 माह के मध्य की देरी थी, जैसा कि नीचे **तालिका 5.2.4** में वर्णित है:

तालिका 5.2.4: पाइपों की अनुपलब्धता के कारण विलंबित कार्यों के विवरण

कार्य का नाम	कार्य आरंभ करने की प्रारंभिक तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि	पाइपों की प्राप्ति की तिथि	बुक किए गए पाइपों का मूल्य ₹ लाख में	कार्य आरंभ करने में विलंब
गन्नौर टाउन में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रदान करना - 900 मिलीमीटर आंतरिक व्यास डक्टाइल आयरन पाइपलाइन राइजिंग मेन का 726 मीटर बिछाया जाना और 25 हौदियों का निर्माण	29 जनवरी 2016 और 28 जुलाई 2016 तक पूर्ण किया जाना है	जुलाई 2018	131.19[3]	30 माह
राई निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में शेष वितरण पाइपलाइन प्रदान करना	21 मई 2018 और 20 नवंबर 2018 तक पूर्ण किया जाना है	मार्च और मई 2019	112.89	12 माह

स्टॉक उचंत के अंतर्गत रिज़र्व स्टॉक में पाइपों की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। अनुबंध अवधि के दौरान पाइप उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता के कारण निविदाएं पुन:आमंत्रित कर अक्तूबर 2020 में दूसरे ठेकेदार को स्टॉर्म वाटर ड्रेन उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया।

इस प्रकार, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की ई-बिलिंग प्रणाली में स्टॉक उचंत से संबंधित लेखांकन वर्गीकरण के लिए प्रावधान की कमी और स्टॉक के लेन-देन के लिए वैकल्पिक लेखांकन प्रक्रिया तैयार न करने से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में डक्टाइल आयरन पाइपों की उपलब्धता और उपयोग में भारी असंतुलन था क्योंकि जिन कार्यों को प्रारंभ नहीं किया गया

[3] किया गया कुल व्यय ₹ 4.59 करोड़ (रेलवे की अनुमति पर ₹ 3.28 करोड़ और पाइप की खरीद पर ₹ 1.31 करोड़)।

था, उनके विरुद्ध पाइप अप्रयुक्त पड़े थे तथा कार्य के वास्तविक प्रारंभ से पूर्व ही निर्माण कार्यों के लिए पाइप बुक किए गए थे। जबकि कुछ मामलों में कार्य आबंटन के बाद भी पाइप उपलब्ध नहीं कराया गया था। बंद कार्यों में भारी मात्रा में पाइप अप्रयुक्त पड़े रहे।

प्रमुख अभियंता ने बताया (फरवरी 2022) कि विभाग द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में डक्टाइल आयरन पाइपों की खरीद के लिए राज्य और केंद्रीय शीर्ष के लिए उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 300 करोड़ का प्रावधान करने और स्टॉक उचंत शीर्ष के अंतर्गत बजट का उपयोग करने के लिए तदनुसार लेखांकन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल को संशोधित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

5.2.4 ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली

विभाग ने वस्तुसूची की वास्तविक समय स्थिति के लिए इन-हाउस ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की (सितंबर 2008)। इसकी मुख्य विशेषताएं आपूर्ति आदेश देने से लेकर सामग्री की प्राप्ति तक लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए और उसके उपरांत इसे फील्ड कार्यालयों को जारी करने तथा उसके बाद फील्ड कार्यालयों द्वारा व्यक्तिगत कार्य के लिए जारी करने के लिए मंच प्रदान करना है। यह स्टॉक की प्राप्ति और जारी करने, वस्तुसूची रख-रखाव, वस्तुसूची की लागत, स्क्रैप और अप्रचलित वस्तुओं के विवरण पर विभिन्न रिपोर्टें भी तैयार करती है।

इसी प्रकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लेखांकन संबंधी कार्यों के लिए लेखांकन प्रबंधन प्रणाली को भी आंतरिक रूप से विकसित किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं कैश बुक का ऑनलाइन रखरखाव, मंडलों के मासिक लेखाओं की तैयारी, कार्य बिल तैयार और पारित करना, साख-पत्र की मांग और इसका उपयोग आदि हैं। वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली और लेखांकन प्रबंधन प्रणाली दोनों एक-दूसरे के साथ एकीकृत हैं। जैसे और जब सामग्री जारी की जाती है और गेट पास सृजित होता है, वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली पर बुक किया गया व्यय संबंधित कार्य पर लेखांकन प्रबंधन प्रणाली में हस्तांतरित हो जाता है और लेन-देन के लेखांकन के लिए लोक निर्माण लेखा फॉर्म में प्रदर्शित होता है। इसके अलावा, ई-बिलिंग में मंडलीय गठन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में भुगतान विवरण तैयार करना और रोकड़ बही में लेन-देन शामिल करना सम्मिलित है।

ई-बिलिंग और लेखांकन प्रबंधन प्रणाली निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया से अपर्याप्त हैं क्योंकि सिस्टम डिजाइन की सीमा के कारण स्टॉक उचंत के माध्यम से लेन-देन सक्षम नहीं हैं। ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली के संबंध में देखी गई अनियमितताएं इस प्रकार हैं:

5.2.4.1 ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली के प्रयोक्ता मैनुअल को अद्यतन न करना

प्रयोक्ता मैनुअल एक कार्य आधारित दस्तावेज है जो सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के कार्यों की प्रक्रिया, उपयोग तथा पदानुक्रम की व्याख्या करता है और निष्पादन को बाधित किए बिना वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे अद्यतित रखना अपेक्षित है। प्रबंधन और क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता पर, वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली में इसकी शुरुआत से कुछ संशोधन किए गए हैं (सितंबर 2008), किंतु जनवरी 2013 के बाद इसके प्रयोक्ता मैनुअल को अद्यतन नहीं किया गया था।

5.2.4.2 आयु-वार वस्तुसूची रिपोर्ट का प्रावधान न करना

नौ मंडलों में यह देखा गया कि वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली में सामग्री की आयु-वार रिपोर्ट तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं था। अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 के दौरान सृजित रिपोर्ट के आधार पर, पिछले पांच से 17 वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 5.21 करोड़ (निर्गम दर के अनुसार) मूल्य की 302 मदों को जारी नहीं किया गया था। इसके कारण कम उपयोग और अनुपयोगी मदों का वस्तुसूची में वर्गीकरण नहीं हुआ और वस्तुसूची की आयु की निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। लंबी अवधि से वस्तुसूची का उपयोग न करने से न केवल वस्तुसूची के अप्रचलित होने का बल्कि इसके बेकार होने का भी जोखिम हुआ।

5.2.4.3 ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली की तुलना में मैनुअल बिन कार्ड की मात्रा में भिन्नता

मैनुअल तथा ऑनलाइन वस्तुसूची के मिलान के दौरान, यह देखा गया था कि ₹ 3.30 लाख मूल्य के स्टॉक वाले 54[4] बिन कार्ड, ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड नहीं किए गए थे। इस प्रकार, बिन कार्ड में दर्शाई गई मात्रा और ऑनलाइन वस्तुसूची में समान मद की संगत मात्रा में अंतर था।

प्रमुख अभियंता ने बताया (फरवरी 2022) कि वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल के प्रयोक्ता मैनुअल को अद्यतन किया जा रहा है, उपलब्ध स्टॉक की आयु-वार वस्तुसूची की रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह भी बताया गया कि वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली पर सभी बिन कार्ड अपलोड करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली और स्टॉक की वास्तविक उपलब्धता के मध्य मात्रा का मिलान किया जा सके।

5.2.5 स्टॉक प्रबंधन में अन्य अनियमितताएं

5.2.5.1 भौतिक सत्यापन की अनुचित विधि और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार न करना

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब वित्तीय नियम के पैरा 15.16 के अनुसार, विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत वर्ष में कम से कम एक बार सभी स्टोर का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और इस शर्त के अधीन कि बड़े और महत्वपूर्ण स्टोर के मामले में जहां तक संभव हो, सत्यापन उत्तरदायी सरकारी कर्मचारी, जो स्टोर के प्रभारी वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी से स्वतंत्र हो, को सौंपे जाने चाहिए। इसके अलावा, जैसा भी मामला हो, जहां ऐसा सत्यापन किया गया है, इसके परिणामों के साथ स्टोर के सत्यापन का प्रमाण-पत्र सूची, वस्तुसूची अथवा लेखे में दर्ज किया जाना चाहिए। पंजाब वित्तीय नियम के पैरा 15.17 के अनुसार, भौतिक सत्यापन करने में, देखी गई सभी विसंगतियों की उचित जांच की जानी चाहिए तथा तुरंत ध्यान में लाई जानी चाहिए, ताकि स्टोर लेखे स्टोर की सही स्थिति दर्शा सकें; तथा कमी और क्षति के साथ-साथ अप्रयुक्त स्टोरों की सूचना तुरंत सक्षम प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। इसके अलावा पंजाब वित्तीय नियम का पैरा 15.18 निर्धारित करता है कि बेकार होने वाले स्टोर के

[4] सोहना में छः, तोशाम में नौ और अंबाला कैंट में 39.

मामले में निरीक्षण अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी नौ मंडलों में भौतिक सत्यापन का संचालन ठीक से नहीं किया गया था। प्रत्येक बिन कार्ड पर एक ही मंडल के उप-मंडलीय अभियंता स्तर के अधिकारी के अदिनांकित आद्याक्षर के साथ केवल वाक्यांश 'भौतिक रूप से जांचा गया' पाया गया था जो कि उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन में है। भौतिक सत्यापन की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही थी। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में, हानि, कमी, अधिशेष और अप्रयुक्त वस्तुओं की मात्रा और मूल्य का पता नहीं लगाया जा सका। आगे, यह भी देखा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर और पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड जैसी खराब होने वाली वस्तुओं का भौतिक सत्यापन अर्ध-वार्षिक की बजाय वार्षिक आधार पर किया गया था।

5.2.5.2 स्टॉक उचंत में पड़ी स्टॉक मदों का उपयोग न करना

यह देखा गया था कि नीचे दी गई **तालिका 5.2.5** में उल्लिखित ₹ 50.72 लाख (जनवरी 2022) की तीन मदों को या तो आवश्यकता के बिना या आवश्यकता से अधिक खरीदा गया, जिससे निधियों का अवरोधन हुआ।

तालिका 5.2.5: स्टॉक उचंत में पड़ी वस्तुओं का विवरण

मंडल का नाम	मात्रा शेष (नवंबर 2019)	अंतिम लेन-देन की तिथि	शेष मात्रा की लागत (₹ लाख में)
प्राकृतिक जल पंप/स्वच्छ जल केंद्रापसारी पंप/मोटर्स			
सोहना	16	अप्रैल 2006	5.91
तोशाम	7	अगस्त 2003 से फरवरी 2011	1.17
सिरसा संख्या 2	06	दिसंबर 2004	0.15
सोनीपत संख्या 2	29	जून 2000 से जुलाई 2011	8.68
कैथल संख्या 1	31	अप्रैल 2005 से अक्तूबर 2009	6.23
नारायणगढ़	19	फरवरी 2008 से अप्रैल 2010	6.45
कुरुक्षेत्र	8	मार्च 2005	1.95
कुल (क)	**116**		**30.54**
लो कार्बन गेल्वेनाइज्ड स्क्रीन पाइप			
सोहना	62	अगस्त 2012 से जनवरी 2014	2.92
कुल (ख)	**62**		**2.92**
सम्मिश्र प्रेशर पाइप			
तोशाम	5,156	अगस्त 2008	3.87
सोनीपत संख्या 2	5,920	जुलाई 2011	4.44
अंबाला कैंट	4,007	अप्रैल 2010	2.97
नारायणगढ़	8,083	जून 2016	5.98
कुल (ग)	**23,166**		**17.26**
कुल योग (क+ख+ग)			**50.72**

उपर्युक्त मदों को स्टॉक उचंत में बुक किया गया था और लंबे समय से जारी नहीं किया गया था, स्टोर में इनकी मौजूदगी की जानकारी होने के बावजूद हर वर्ष विभागीय भौतिक सत्यापन किया जा रहा था।

5.2.5.3 बेकार स्टॉक वस्तुओं के निपटान में विलंब - ₹ 60.78 लाख

यह देखा गया था कि स्टोर में भारी मात्रा में एल्युमीनियम: 58,468 किलोग्राम, कच्चा लोहा:

6,953 किलोग्राम तथा लोहा: 2,278 किलोग्राम कबाड़ और अधिशेष के रूप में पड़ा था। कॉडेम्नेशन बोर्ड ने स्टोर का निरीक्षण किया (अगस्त 2016) तथा वस्तुओं को किफायती मरम्मत से परे पाया और उन्हें कबाड़/अधिशेष घोषित किया तथा उनका आरक्षित मूल्य ₹ 3.78 लाख के मूल खरीद मूल्य के मुकाबले मौजूदा बाजार दर पर ₹ 60.78 लाख निर्धारित किया (अगस्त 2016)। तदनुसार, निविदा आमंत्रित की गई तथा अगस्त 2018 में खोली गई। एकल बोली प्राप्त हुई और फर्म ने ₹ 6.47 लाख का मूल्य उद्धृत किया जो बहुत कम था (आरक्षित मूल्य का 10.65 प्रतिशत)। कम प्रतिक्रिया के कारण, निविदा को पुनःआमंत्रित करने का निर्णय लिया गया किंतु बाद में विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। उपर्युक्त वर्णित मदें अभी भी स्टोर में पड़ी है (नवंबर 2019)।

इस प्रकार, विभाग के उदासीन रवैये के कारण, ये स्क्रैप मदें न केवल स्टोर के महत्वपूर्ण स्थान को घेर रही हैं, बल्कि ₹ 60.78 लाख की निधि को भी अवरुद्ध कर रही हैं।

5.2.5.4 वस्तुसूची को कम दर्शाना

स्टोर से कार्य/ठेकेदार को जारी सामग्री के उपयोग की निगरानी के लिए साइट पर सामग्री रजिस्टर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कार्य हेतु जारी और साइट पर रखी गई अप्रयुक्त सामग्री को कार्य पूरा होने/समाप्त होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र स्टोर में वापस करना अपेक्षित है।

साइट पर सामग्री रजिस्टर में देखा गया था कि मई 2016 में नूंह स्टोर से 500 एचडीपीई पानी की टंकियों को सोहना मंडल में हस्तांतरित किया गया था। इनमें से 160 पानी की टंकियों को नूंह स्टोर को वापस किया गया, 35 पानी की टंकियों को सोहना स्टोर में जमा किया गया, 34 पानी की टंकियों का उपयोग कर लिया गया था तथा शेष 271 पानी की टंकियां जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, सोहना के स्टोर में पड़ी थी, संबंधित कनिष्ठ अभियंता के साइट पर सामग्री रजिस्टर में अभी भी थी (नवंबर 2019)। इसके परिणामस्वरूप स्टोर में वस्तुसूची की विशेष मद की अतिरिक्त मात्रा को कम बताया गया।

5.2.5.5 **एस्बेस्टस सीमेंट पाइपों की अनुचित उपयोग योजना**

यह देखा गया था कि विभाग के विभिन्न स्टोरों में ₹ 1.43 करोड़ की राशि के विभिन्न आयामों के 66,888.50 मीटर एस्बेस्टस सीमेंट पाइप अप्रयुक्त पड़े थे। स्टोर बिन कार्डों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इन पाइपों को 2014 से पहले खरीदा गया था किंतु जनवरी 2022 तक उपयोग नहीं किए गए थे। इस प्रकार, एस्बेस्टस सीमेंट पाइपों की अनुचित उपयोग योजना के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ की निधि अवरुद्ध हो गई।

5.2.5.6 **निष्कर्ष**

स्टोरों के रख-रखाव में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं क्योंकि स्टोरों का भौतिक सत्यापन कोडल प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था, अप्रयुक्त वस्तुसूची लंबे समय से स्टोरों में पड़ी थी तथा अप्रयुक्त/स्क्रैप मदों की वास्तविक मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सका था। आगे, पुरानी और बेकार वस्तुओं का निपटान नहीं किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (29 अप्रैल 2022), अपर मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार करते समय विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में लेखांकन प्रबंधन प्रणाली और अन्य एप्लिकेशनों में सुधार करके मामले की जांच करने और मामले का समाधान करने का निर्देश दिया था। अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि विभाग के पास आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र होना चाहिए।

5.2.6 सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की जानकारी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लेखांकन प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ या गैर-नकद लेनदेन के लिए वाउचर स्तर के कम्प्यूटरीकरण के साथ एकीकृत करना, जो केंद्र प्रायोजित/केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में अप्रयुक्त पाइपों और अन्य सामग्री के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए ई-बिलिंग/एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कैप्चर नहीं किए जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में व्यय के रूप में दर्शाना अपेक्षित है।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशनों का विकास और क्रियान्वयन ताकि ई-बिलिंग को स्टॉक उचंत शीर्ष के परिचालन के साथ एकीकृत किया जा सके;
- स्टॉक उचंत शीर्ष के अंतर्गत आवश्यकता आधारित बजटीय आबंटन प्रदान करना;
- मैनुअल और ऑनलाइन बिन कार्ड का मिलान करना;
- वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली में आयु-वार वस्तुसूची रिपोर्ट का प्रावधान करना;
- भौतिक सत्यापन की कुशल और प्रभावी पद्धति का विकास करना और उसके लिए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार करना; तथा
- पुरानी/बेकार/स्क्रैप/अधिशेष मदों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली विकसित करना।

5.3 ठेकेदार को न किए गए कार्य हेतु अनियमित एवं अधिक भुगतान

कार्यों की मदों को वास्तविक आधार पर दर्ज न करने और गलत ढंग से प्रमाणित करने के कारण, अनियमित अधिक भुगतान के कारण एजेंसी से ₹ 2.53 करोड़ की राशि वसूलनीय थी।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता (कोड) के पैराग्राफ 18.8.1 में बताया गया है कि कनिष्ठ अभियंता अतिशीघ्र माप की पूरी रिकॉर्डिंग/जांच करेगा। बल्कि, प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए वह ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने से पहले भी कार्य कर सकता है किंतु अपने वरिष्ठ अधिकारी को माप पुस्तिका प्रस्तुत करने में 10 दिनों से अधिक समय नहीं लेगा। आगे, लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 6.6.7 में बताया गया है कि उप-मंडलीय अभियंता प्रत्येक कार्य के आधार की पूरी तरह से जांच करेंगे और देखेंगे कि यह सही है। उप-मंडलीय अभियंता कनिष्ठ

अभियंता के दिन-प्रतिदिन के कार्य के साथ निरंतर और निकट संपर्क में रहेगा और यह देखेगा कि माप नियत समय पर लिया जाता है और जांच की जाती है।

नहर से मुख्य जल निर्माण कार्य तक डक्टाइल आयरन उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य, भंडारण एवं अवसादन टैंक का जीर्णोद्धार, बाउंड्री वॉल का पुनर्निर्माण, छतरगढ़ पट्टी रोड स्थित मुख्य जल कार्य में संरचनाओं की मरम्मत का कार्य और मिनी सचिवालय जल कार्य, जिला सिरसा का नवीनीकरण कार्य एक एजेंसी को ₹ 8.51 करोड़ की अनुबंध राशि पर आबंटित किया गया था (नवंबर 2019)। कार्य प्रारंभ करने की तिथि 10 दिसंबर 2019 थी और कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा 18 माह थी।

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 2, सिरसा के कार्यालय के नवंबर 2021 माह के मासिक लेखाओं की संवीक्षा के दौरान (दिसंबर 2021) यह पाया गया था कि ₹ 2.38 करोड़ का अंतरण प्रविष्टि आदेश (26 नवंबर 2021) अधिक भुगतान के कारण ठेकेदार के विरूद्ध विविध लोक निर्माण अग्रिम की राशि डेबिट कर तथा उपर्युक्त कार्य में (-) नामे समायोजित कर मासिक खाते में संलग्न किया गया था।

आगे यह देखा गया था कि ठेकेदार को चौथे सीसी एवं रनिंग बिल तक (अगस्त 2021) ₹ 6.86 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस बीच, उप-मंडल अभियंता (एसडीई) के स्थानांतरण पर, संबंधित कार्य के कनिष्ठ अभियंता ने 17 मदों के संबंध में अधिक माप के कारण सितंबर 2020 से अगस्त 2021 की अवधि के लिए माप पुस्तिका में की गई गलत प्रविष्टियों के बारे में नए उप-मंडल अभियंता को सूचित किया (अक्तूबर 2021)। कार्यकारी अभियंता ने तब एजेंसी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य की पुनर्गणना करने का आदेश दिया और उसके बाद ₹ 4.48 करोड़ का संशोधित 5वां रनिंग बिल पास किया। इस प्रकार पांचवें रनिंग बिल तक एजेंसी को ₹ 2.38 करोड़ की अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। यह इंगित करता है कि संबंधित अधिकारियों (अर्थात् उप-मंडल अभियंता/कनिष्ठ अभियंता) ने माप लेते समय कार्य की मदों को गलत ढंग से प्रमाणित किया तथा कार्य के लिए ₹ 6.86 करोड़ के भुगतान को अनुमोदित किया, जो कि अनियमित था।

इस प्रकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं द्वारा हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप न केवल किए गए कार्यों का गलत प्रमाणीकरण हुआ बल्कि वास्तव में निष्पादित न किए गए कार्यों के लिए ₹ 2.38 करोड़ का अनियमित भुगतान भी हुआ। इसलिए, ब्याज की हानि (सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर) के साथ ठेकेदार से ₹ 2.53 करोड़[5] की राशि वसूल की जानी थी। आगे, माप पुस्तिका में अधिक अभिलेख प्रविष्टियों के अभिलेखन में अनियमितता के लिए उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (29 अप्रैल 2022), विभाग ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को

[5] ₹ 2.53 करोड़ = अधिक भुगतान: ₹ 2.38 करोड़ और उस पर ब्याज की हानि ₹ 0.15 करोड़ (राज्य की उधार दर: 6.50 प्रतिशत)।

चार्जशीट कर दिया गया है और विभागीय स्तर पर निर्देश जारी कर मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को नींव/बेड लेवल रखते समय मुख्य पंपिंग स्टेशन और एसएस टैंक के कार्य की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

आगे, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ने सूचित किया (9 मई 2022) कि दिसंबर 2021 एवं फरवरी 2022 के माह के दौरान अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से ठेकेदार से ₹ 62.03 लाख की राशि की वसूली की गई है।

सिफारिश: विभाग को संबंधित एजेंसी के प्रति विविध लोक निर्माण अग्रिमों की राशि को डेबिट करने के स्थान पर संबंधित कार्य में (-) डेबिट प्रविष्टि कर लेखांकन पद्धति में परिवर्तन करने पर विचार करना चाहिए।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

5.4 अधूरे छोड़े गए कार्यों पर निष्फल व्यय तथा एजेंसी से वसूलनीय राशि

दो वर्ष की अवधि के बाद अनुबंध को निरस्त करने के लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के उत्तरदायी अधिकारियों के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुबंध की समाप्ति के बाद नई निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई न करने के कारण कार्यों पर ₹ 179.25 लाख का व्यय निष्फल हो गया तथा ₹ 12.37 लाख के परिसमापक हानि की वसूली तथा ₹ 40.53 लाख के शेष कार्य की 20 प्रतिशत पेनल्टी अभी भी लंबित है।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 16.37.1 में बताया गया है कि अधिक समय लेने के कारण परियोजना की उच्च लागत, संविदात्मक दावों, सुविधा के उपयोग में देरी तथा राजस्व की संभावित हानि होने की संभावना है। इसके अलावा, अनुबंध डेटा की क्लॉज 60.1 के अनुसार, यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध के मौलिक उल्लंघन के कारण अनुबंध समाप्त किया जाता है तो कार्य पूरा न करने पर अतिरिक्त पेनल्टी, समाप्त न किए गए कार्य के मूल्य का 20 प्रतिशत परिसमापक हानि के अतिरिक्त होगी।

अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), गुरुग्राम के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (जुलाई 2021 से अक्तूबर 2021) यह देखा गया था कि अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने बहुउद्देशीय हॉल, कैंटीन ब्लॉक, साइकिल स्टैंड और उप-स्टेशन के निर्माण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नूंह (कार्य-ए) और उजीना (कार्य-बी) में क्रमशः ₹ 432.71 लाख और ₹ 435.61 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी (जनवरी 2015)। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा इन संरचनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत प्राक्कलन कार्य-ए और कार्य-बी के लिए क्रमश: जून 2015 में ₹ 167.50 लाख और मई 2015 में ₹ 167.78 लाख के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया था। अधीक्षण अभियंता, रेवाड़ी परिमण्डल ने उपर्युक्त दोनों कार्यों को अक्तूबर 2015 एवं अगस्त 2015 में क्रमश: ₹ 188.14 लाख एवं ₹ 193.76 लाख में हरियाणा स्टेट कॉपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन 1, पंचकूला (लेबरफेड) को 12 माह की समय-सीमा के साथ आबंटित किया और

दोनों कार्य दिसंबर 2015 में प्रारंभ किए गए थे।

मंडल स्तर पर बार-बार अनुरोध करने के बावजूद एजेंसी दोनों कार्यों को पूरा करने में विफल रही। नवंबर 2016 में, मंडलीय कार्यालय ने कार्य-ए के लिए परिसमापक हानि के रूप में ₹ 18.81 लाख की 10 प्रतिशत पेनल्टी लगाई। इसी प्रकार कार्य-बी के लिए ₹ 19.38 लाख परिसमापक हानि (करार अनुबंध का 10 प्रतिशत) के रूप में भी उद्गृहीत किए गए थे। इसके बाद भी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने में विफल रही। अधीक्षण अभियंता, रेवाड़ी ने मई 2018 में दोनों कार्यों के अनुबंध को समाप्त कर दिया। पिछले बिल (क्रमशः तीसरे और चौथे बिल) के अनुसार, कार्य-ए तथा कार्य-बी को ₹ 188.14 लाख (37 प्रतिशत) और ₹ 193.76 लाख (56 प्रतिशत) के तद्नुरूपी अनुबंध के विरुद्ध क्रमशः ₹ 69.69 लाख[6] और ₹ 109.56 लाख[7] तक निष्पादित किया गया था।

एजेंसी ने जून 2017 में ठेकेदार की कुछ पारिवारिक परिस्थितियों तथा अपरिहार्य स्थितियों के कारण दोनों कार्य बंद कर दिए। ₹ 38.19 लाख के लगाई गई परिसमापक हानि के विरुद्ध ₹ 25.83[8] लाख की राशि का परिसमापक हानि प्रभार वसूल किया गया है। विभाग ₹ 9.69 लाख (कार्य बी) की बैंक गारंटी को भुना नहीं सका क्योंकि बैंक ने यह कहकर बैंक गारंटी (सावधि जमा रसीद के रूप में) को भुनाने से मना कर दिया (अक्तूबर 2018) कि उनके बैंक द्वारा जारी सावधि जमा रसीद विभाग के नाम पर नहीं है।

ठेकेदार द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के कारण शेष कार्य के 20 प्रतिशत पेनल्टी (₹ 40.53[9] लाख) के साथ-साथ ₹ 12.36[10] लाख के शेष परिसमापक हानि की वसूली ठेकेदार से की जानी शेष है।

तथापि, एजेंसी के अनुरोध (अक्तूबर 2018) और अधीक्षण अभियंता, गुरुग्राम परिमंडल की सिफारिशों पर, प्रमुख अभियंता (भवन) ने दोनों कार्यों के अनुबंध को जून 2020 में रद्द कर दिया अर्थात् दो वर्ष की अवधि के बाद और इस आधार पर 31 दिसंबर 2020 तक कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तार दिया कि शेष मदों की मात्रा बहुत कम है, किसी भी एजेंसी के निविदा में उपस्थित होने की उम्मीद नहीं है और निविदा के विरूद्ध प्राप्त दरें बहुत अधिक होंगी। कार्यकारी अभियंता, नूंह ने एजेंसी को शेष कार्य आरंभ करने से पहले दोनों कार्यों के लिए अवधि के विस्तार हेतु कार्य-ए के लिए ₹ 9.41 लाख तथा कार्य-बी के लिए ₹ 9.69 लाख की नई बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया, किंतु एजेंसी द्वारा नई बैंक गारंटी जमा नहीं की गई थी और ₹ 179.25 लाख {₹ 69.69 लाख (कार्य-ए) और ₹ 109.56 लाख (कार्य-बी)} खर्च करने के बाद भी दोनों कार्य मई 2018 से बंद पड़े थे।

---

6 दिनांक 27 सितंबर 2018 के वाउचर संख्या 58 के अंतर्गत भुगतान किया गया।

7 दिनांक 11 अक्तूबर 2018 के वाउचर संख्या 61 के अंतर्गत भुगतान किया गया।

8 **कार्य ए:** परिसमापक हानि: ₹ 4.66 लाख और बैंक गारंटी: ₹ 9.41 लाख और **कार्य बी:** परिसमापक हानि: ₹ 11.76 लाख

9 **कार्य ए:** ₹ 23.69 लाख और **कार्य बी:** ₹ 16.84 लाख।

10 **कार्य ए:** ₹ 4.74 लाख और **कार्य बी:** ₹ 7.62 लाख।

निरस्तीकरण अनियमित था और इससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि ₹ 381.90 लाख की अनुबंध लागत के विरूद्ध ₹ 179.25 लाख व्यय करने के बाद भी दोनों कार्य मई 2018 से बंद पड़े हैं। इसके अलावा, ₹ 12.36 लाख परिसमापक हानि के रूप में और ₹ 40.53 लाख संविदा अनुबंध की समाप्ति के लिए एजेंसी से वसूलनीय है।

इस प्रकार दोनों कार्य अनुबंध लागत ₹ 381.90 लाख के विरूद्ध ₹ 179.25 लाख व्यय करने के बाद भी मई 2018 से परित्यक्त पड़े हैं। इसके अतिरिक्त, ₹ 12.36 लाख परिसमापक हानि तथा ₹ 40.53 लाख करार अनुबंध की समाप्ति के लिए एजेंसी से वसूली योग्य बना रहेगा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (11 मई 2022), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि अब साइट पर कार्य आरंभ कर दिया गया है और नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा। विभाग के नाम सावधि जमा रसीद प्राप्त न होने पर आपत्ति के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को भविष्य में विभाग के नाम पर बैंक गारंटी प्राप्त करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

इस प्रकार, मई 2018 में समाप्ति के बाद नई निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई न करने के साथ-साथ अनुबंध की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि के बाद प्रमुख अभियंता द्वारा संविदा अनुबंध की समाप्ति को अविवेकपूर्ण ढंग से रद्द करने के कारण ₹ 179.25 लाख का निष्फल व्यय हुआ, इसके अलावा छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक बुनियादी ढांचे का लाभ नहीं मिला।

5.5 अयोग्य एजेंसी को कार्य का आबंटन तथा बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि एवं पेनल्टी के उद्ग्रहण हेतु संविदा के मूल्य के कम निर्धारण के कारण ₹ 2.15 करोड़ की वसूली न होना

विभाग ने बोली की शर्तों का उल्लंघन किया, अयोग्य बोलीदाताओं को कार्य सौंपा और किसी भी समय एजेंसी द्वारा निकाले गए पत्थर के मूल्य को ₹ दो करोड़ तक सीमित करने के प्रमुख अभियंता के विशिष्ट आदेशों की अवहेलना की। बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि तथा पेनल्टी की गणना उचित नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ मूल्य के बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि तथा पेनल्टी के संबंध में अनुचित लाभ दिया गया।

लोक निर्माण विभाग संहिता के पैराग्राफ 6.4.1 में प्रावधान है कि अधीक्षण अभियंता निर्देशन एवं नियंत्रण अधिकारी है। वह अपने परिमंडल के अंदर विभाग के अधिकारियों के कार्यीभार में लोक निर्माण कार्यों के कुशल प्रशासन और सामान्य पेशेवर नियंत्रण के लिए प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता के प्रति उत्तरदायी है। वह तकनीकी एवं व्यावसायिक मामलों के संबंध में तथा परियोजनाओं की उपयुक्तता या डिजाइन की तर्कसंगतता के संबंध में मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता को इनपुट प्रदान करता है।

आगे, हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन तथा अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 के नियम 32 (1) में प्रावधान है कि जहां किसी भवन अथवा विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में कोई खनिज पाया जाता है और इस तरह की परियोजना के निष्पादन

की प्रक्रिया में उसे निकाला जाना है, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार उत्खनन और उपभोग या निपटान की गई मात्रा के लिए सरकार को लागू रायल्टी और अन्य प्रभारों के भुगतान पर ऐसे खनिज को या तो अपनी खपत के लिए उपयोग करने या परियोजना क्षेत्र के बाहर इसके निपटान के लिए अनुमति दी जा सकती है।

कार्यालय कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क मंडल, नूंह के अभिलेखों की जुलाई 2021 से अक्तूबर 2021 के दौरान संवीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने फरवरी 2016 में ग्राम नोटकी से तिजारा के मध्य 4.35 किलोमीटर लिंक रोड के निर्माण के लिए ₹ 19.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की क्योंकि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए कोई लिंक रोड नहीं था। इस परियोजना की निविदा में मुख्य लागत घटक सड़क का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और पहाड़ी की खुदाई से प्राप्त पत्थर धातु के क्रेडिट का प्रावधान थे।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार, सड़क के निर्माण की लागत ₹ 13.40 करोड़ परिकलित की गई थी तथा खोदे गए पत्थर/पहाड़ी चट्टानों (3,55,851 घनमीटर पत्थर) की 70 प्रतिशत मात्रा के लिए वसूलनीय राशि ₹ 8.90[11] करोड़ (₹ 250 प्रति घनमीटर की दर से) का अनुमान लगाया गया थी। निविदा प्रक्रिया में, मैसर्ज एसकेआर कंपनी, हिसार ने कार्य के लिए ₹ 250 प्रति घनमीटर 3,55,851 घनमीटर पत्थर अर्थात कुल उत्खनित पहाड़ी चट्टान के 70 प्रतिशत हेतु विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में अनुमानित दर के विरूद्ध ₹ 410 प्रति घनमीटर की दर से - ₹ 4.48 करोड़ की दर को उद्धृत किया।

कार्यकारी अभियंता ने उल्लेख किया (फरवरी 2018) कि एजेंसी द्वारा उद्धृत दरें बेहद कम हैं और इस बात की संभावना थी कि अनुबंधित एजेंसी या तो घटिया सामग्री का उपयोग करके अनुचित विनिर्देशों के साथ कार्य को निष्पादित करने का प्रयास करेगी या पहाड़ी भाग की चट्टान की कटाई निष्पादित करने के बाद कार्य को बीच में छोड़ सकती है। तद्नुसार, निविदा मामला को अनुमोदित करते समय (मार्च 2018) प्रमुख अभियंता ने निर्देश दिया था कि अधीक्षण अभियंता/कार्यकारी अभियंता/फील्ड अधिकारी/कर्मचारी ठेकेदार द्वारा ले जाए गए पत्थर पर नजर रखने के लिए तंत्र बनाएं तथा किसी भी समय ले जाए गए पत्थर का मूल्य ₹ दो करोड़ की अतिरिक्त बैंक गारंटी राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। अंत में, कार्य मैसर्ज एसकेआर कंपनी, हिसार को ₹ 10.11 करोड़ में 12 माह की समय-सीमा और ₹ 14.59 करोड़ की वसूलनीय राशि के साथ प्रदान किया गया (मार्च 2018)। एजेंसी ने ₹ 22.53 लाख की निष्पादन प्रतिभूति के साथ ₹ दो करोड़ की असंतुलित बोली प्रतिभूति जमा की।

निविदाकरण प्रक्रिया की जांच के दौरान यह अवलोकित किया गया था कि बोलीदाताओं के निर्देश की क्लॉज 4.5.3 (ए) की शर्तों के अनुसार, वार्षिक टर्नओवर ₹ 5.36 करोड़[12] होना अपेक्षित था। तथापि, एजेंसी का वार्षिक टर्नओवर ₹ 4.88 करोड़ था (जो अपेक्षित टर्नओवर से

---

[11] ₹ 8.90 करोड़ = ₹ 250 प्रति घनमीटर (पत्थर हेतु प्रति घनमीटर के लिए दर) x 3,55,851 घनमीटर पत्थर (पत्थर की मात्रा)।

[12] अपेक्षित टर्नओवर - अनुबंध के मूल्य का 40 प्रतिशत (₹ 13.40 करोड़ x 40 प्रतिशत = ₹ 5.36 करोड़)।

₹ 0.48 करोड़ कम था) जिसके कारण एजेंसी अयोग्य हो जाती। इस प्रकार, विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार वित्तीय क्षमता के गलत मूल्यांकन के कारण अयोग्य एजेंसी को कार्य का आबंटन हुआ।

एजेंसी निर्धारित लक्ष्य समय पर हासिल नहीं कर सकी और 30 मई 2021 तक समय विस्तार के लिए अनुरोध किया (फरवरी 2019)। प्रमुख अभियंता ने अप्रैल 2020 तक का समय विस्तार दिया (मार्च 2019) किंतु एजेंसी विस्तारित अवधि में भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकी और अप्रैल 2020 के बाद एजेंसी ने कार्य को छोड़ दिया।

₹ 10.11 करोड़ की राशि के सड़क निर्माण कार्य में से एजेंसी ने सड़क निर्माण के लिए ₹ 2.61 करोड़ के कार्य को निष्पादित किया था तथा पत्थर/पहाड़ी चट्टान ले जाने के लिए एजेंसी से ₹ 4.45 करोड़ की राशि वसूलनीय थी। इस प्रकार एजेंसी द्वारा ₹ 7.50 करोड़ का कार्य छोड़ दिया गया था तथा ठेका अनुबंध की क्लॉज 60.1 के अंतर्गत शेष कार्य (अर्थात् ₹ 1.50 करोड़) के 20 प्रतिशत की दर से पेनल्टी उद्गृहीत की जानी और ठेकेदार से वसूल की जानी अपेक्षित थी। एजेंसी ने वसूली के विरूद्ध ₹ 20 लाख जमा किए थे (जुलाई 2020)। संविदा अनुबंध की क्लॉज 59.2 (जी) के अंतर्गत प्रमुख अभियंता के अनुमोदन (जनवरी 2021) से कार्यकारी अभियंता द्वारा फरवरी 2021 में अनुबंध समाप्त कर दिया गया था, जिसमें बताया गया है कि ठेकेदार ने काम को पूरा करने में काफी दिनों की देरी की है, जिसके लिए प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के रूप में परिसमापक हानि की अधिकतम राशि का भुगतान किया जाए। अनुबंध रद्द करने के बाद, विभाग द्वारा ₹ दो करोड़ की शर्तरहित बैंक गारंटी का नकदीकरण कराया गया (जून 2021)। विभाग ने न तो निष्पादन प्रतिभूति का नकदीकरण कराया और न ही ₹ 22.53 लाख की निष्पादन प्रतिभूति की अवधि बढ़ाई।

सड़क निर्माण का कार्य ₹ 10.11 करोड़ के व्यय हेतु एजेंसी को दिया गया था। अनुबंध समाप्त करने से पहले, ठेकेदार ने ₹ 4.45 करोड़ के पत्थर की खुदाई की और ₹ 2.61 करोड़ की राशि के सड़क के निर्माण का कार्य निष्पादित किया। इस प्रकार, एजेंसी को निर्माण की लागत को समायोजित करने के बाद ₹ 1.84 करोड़ का भुगतान करना होगा। सड़क निर्माण हेतु ₹ 10.11 करोड़ की अनुबंध राशि को ध्यान में रखते हुए परिसमापक हानि के कारण कुल वसूलनीय राशि ₹ 1.01 करोड़ और शेष कार्य के लिए पेनल्टी ₹ 1.50 करोड़ है। एजेंसी से ₹ 2.20 करोड़ (₹ 2 करोड़ + ₹ 20 लाख) की वसूली की गई थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के निर्धारण में एजेंसी से ₹ 2.15[13] करोड़ की वसूली किए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2021) कार्यकारी अभियंता ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि संविदात्मक एजेंसी ने अनुबंध की समाप्ति से पहले ₹ 2.61 करोड़ की राशि का कार्य निष्पादित किया है और पत्थर की खुदाई के लिए एजेंसी से ₹ 4.45 करोड़ की वसूली देय थी। पत्थर के उत्खनन एवं किए गए कार्य के मूल्य को समायोजित करने के बाद, एजेंसी

[13] ₹ 2.15 करोड़ = ₹ 1.84 करोड़ + ₹ 1.01 करोड़ + ₹ 1.50 करोड़ - ₹ 2.20 करोड़।
₹ 1.84 करोड़ = (₹ 4.45 करोड़ - ₹ 2.61 करोड़)।

से ₹ 1.84 करोड़ की निवल राशि देय थी। सक्षम प्राधिकारी ने अनुबंध समाप्त कर दिया (फरवरी 2021)। मंडल कार्यालय ने शेष कार्य के लिए ₹ 0.48 करोड़ की परिसमापक हानि एवं ₹ 0.53 करोड़ की पेनल्टी लगाई। एजेंसी से ₹ 2.20 करोड़ (₹ 2 करोड़ + ₹ 20 लाख) की वसूली की गई थी। कार्यकारी अभियंता ने एजेंसी से ₹ 61.15 लाख का शेष भुगतान जमा करने का अनुरोध किया (दिसंबर 2021)। ₹ 2.15 करोड़ की वसूलनीय राशि के विरूद्ध ₹ 61.15 लाख की निर्धारित की गई जो कि ₹ 1.53[14] करोड़ तक कम निर्धारित की गई।

लेखापरीक्षा का मत है कि पेनल्टी की गणना करते समय मंडलीय अधिकारी अनुबंध राशि को ₹ 4.48 करोड़ माना किंतु सड़क के निर्माण का कार्य ₹ 10.11 करोड़ का था। इसके कारण मंडलीय अधिकारी ने ₹ 2.15 करोड़ के बदले वसूलनीय राशि ₹ 61.15 लाख ही दर्शाई है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सड़क के निर्माण का अनुबंध ₹ 10.11 करोड़ था किंतु मंडलीय अधिकारी ने (-) ₹ 4.48 करोड़ के संविदा मूल्य पर परिसमापक हानि की गणना की है तथा संविदा मूल्य से पत्थर की खुदाई को समायोजित करने के बाद अनुबंध रद्द कर दिया।

इस प्रकार, संविदा अनुबंध की निरस्तगी के कारण परिसमापक हानि की पेनल्टी और शेष कार्य के लिए पेनल्टी की गणना उपयुक्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप एजेंसी को ₹ 2.15 करोड़ की राशि का अनुचित लाभ हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (11 मई 2022), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि इस तरह की निविदा विभाग में पहली थी। विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में उपयुक्त परिवर्तनों हेतु ग्रहण की गई जानकारी पर विचार किया जाएगा।

5.6 संविदा समाप्त न होने से ठेकेदार को ₹ 26.46 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ

अविवेकपूर्ण समय विस्तार के कारण सोनीपत में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण में असामान्य विलंब तथा परिसमापक हानि की पेनल्टी और ब्याज की हानि के साथ शेष कार्य की पेनल्टी के रूप में संविदा को निरस्त न किए जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 26.46 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 16.16.1 में प्रावधान है कि अनुबंध में मूल रूप से निर्धारित समय में अनुबंध के पूरा होने में देरी नियोक्ता, अथवा ठेकेदार, अथवा तृतीय पक्ष या अप्रत्याशित घटना के कारण हो सकती है। देरी का परिणाम (क) समय विस्तार के रूप में हो सकता है, जो प्रतिपूरक (वृद्धि) या गैर-प्रतिपूरक हो सकता है, या (ख) परिसमापक हानि को लागू करने के साथ समय का विस्तार, या (ग) अनुबंध के निर्धारण/समाप्ति के रूप में हो सकता है।

अनुबंध की क्लॉज 60.1 में प्रावधान है कि यदि ठेकेदार द्वारा संविदा के मौलिक उल्लंघन के कारण संविदा रद्द की जाती है, तो प्रभारी अभियंता एजेंसी द्वारा किए गए कार्य के मूल्य हेतु

[14] (उद्ग्राह्य- उद्गृहीत) = (₹ 1.01 करोड़ + ₹ 1.50 करोड़) - (₹ 0.45 करोड़ + ₹ 0.53 करोड़) = ₹ 1.53 करोड़।

किसी भी अग्रिम भुगतान, वसूलियों या देय करों को घटाकर प्रमाण-पत्र जारी करेगा। संविदा की शर्त 49.3 में बताया गया है कि यदि ठेकेदार निविदा में निर्धारित समय का पालन करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन निर्दिष्ट दर पर परिसमापक हानि का भुगतान करेगा। इसके अलावा, यदि ठेकेदार द्वारा संविदा के मौलिक उल्लंघन के कारण संविदा रद्द की जाती है, तो परिसमापक हानि के अतिरिक्त कार्य पूरा न करने पर अतिरिक्त पेनल्टी कार्य के मूल्य का 20 प्रतिशत होगी। परिसमापक हानि पेनल्टी के रूप में नहीं बल्कि सरकार को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में लगाई जाती है और इसे स्वविवेक द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है। इसमें क्लॉज 49.2 के अनुसार, स्वतः छूट प्राप्त हो जाती है, जिसमें बताया गया है कि यदि ठेकेदार समय पर अगला निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो लगाई गई परिसमापक हानि स्वतः माफ हो जाएगी और भुगतान ठेकेदार को देय अगले बिल में बिना किसी ब्याज के जारी किया जाएगा।

मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), चंडीगढ़ के कार्यालय में लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2021) यह देखा गया था कि राज्य सरकार ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत की स्थापना के लिए ₹ 119 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन दिया (मई 2013), जिसमें 16 विभिन्न संरचनाएं[15] शामिल हैं। मैसर्ज एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली (जनवरी 2014) को 24 माह के भीतर अर्थात् फरवरी 2016[16] तक कार्य पूरा करने के लिए ₹ 92.46 करोड़ की राशि में कार्य आबंटित किया गया था। विभाग ने केवल शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉकों के लिए स्पष्ट साइट उपलब्ध नहीं कराई थी, लेकिन अन्य साइटों जैसे लड़कों और लड़कियों के छात्रावास, डिस्पेंसरी और शॉपिंग सेंटर, कैंटीन ब्लॉक, प्रोफेसर हाउस, चारदीवारी और सामने के गेट आदि कार्य के आरंभ में ठेकेदार को उपलब्ध कराए गए थे। मार्च 2017 में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉकों के निर्माण हेतु स्थल भी उपलब्ध कराए गए थे। ठेकेदार के दिवालियेपन एवं वित्तीय संकट, अपेक्षित ले-आउट योजना जारी करने में विलंब, एजेंसी को सौंपे गए विलंबित स्थल, ड्राइंग, विनिर्देश, सामग्री, संशोधन आदि जारी करने में देरी जैसे कारणों के आधार पर प्रमुख अभियंता ने 1 फरवरी 2019 तक कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तार को अनुमोदन दिया (फरवरी 2018)।

तथापि, एजेंसी ने वही कारण बताते हुए, जो एजेंसी द्वारा पहले दिए गए थे, 30 सितंबर 2019 तक और समय विस्तार की मांग की (फरवरी 2019)। समय विस्तार के लिए अनुरोध प्रमुख अभियंता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था (मार्च 2019)।

प्रमुख अभियंता द्वारा समय विस्तार देने से मना करने पर, अधीक्षण अभियंता को संविदा की शर्तों की क्लॉज 59.2 का उपयोग करके संविदा को समाप्त करना था तथा अनुबंध के संविदा डेटा की क्लॉज 37 के साथ पठित संविदा की शर्त की क्लॉज 49 के अनुसार परिसमापक हानि

---

15 (i) बॉयज हॉस्टल (ii) गर्ल्स हॉस्टल (iii) डिस्पेंसरी और शॉपिंग एरिया (iv) चारदीवारी और फ्रंट गेट (v) कुलपति का निवास (vi) लाइब्रेरी ब्लॉक (vii) रजिस्ट्रार ब्लॉक (viii) प्रोफेसरों के आवास (ix) सहायक/सह-प्रोफेसरों के लिए आवास (x) गेस्ट हाउस (xi) स्टाफ क्वार्टर (xii) शैक्षणिक ब्लॉक (xiii) प्रशासनिक ब्लॉक (xiv) कैंटीन (xv) भूमिगत पानी की टंकी और (xvi) अग्निशमन कार्य।

16 कार्य 4 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था।

और पेनल्टी उद्गृहीत करनी अपेक्षित थी।

ठेकेदार ने लंबित बिलों के भुगतान जारी करने के अनुरोध के साथ दिसंबर 2019 तक समय का विस्तार के लिए पुनःअनुरोध किया (मई 2019)। प्रमुख अभियंता, छात्रावास ब्लॉक का हिस्सा निर्धारित लक्ष्य[17] अर्थात् जून और जुलाई 2019 को पूरा होने तथा ठेकेदार द्वारा देय परिसमापक हानि के बराबर बैंक गारंटी जमा करने पर समय विस्तार प्रदान करने हेतु सहमत हुए।

बैंक गारंटी जमा न करने तथा कार्य की प्रगति की अन्य शर्तों के कारण निविदा आबंटन समिति ने अनुबंध की क्लॉज 59.2 के अंतर्गत अनुबंध को रद्द करने का निर्णय लिया (जून 2019) और तदनुसार, ठेकेदार को अनुबंध समाप्त करने का नोटिस जारी किया गया था (20 जून 2019)। निरस्तीकरण का नोटिस मिलने पर, ठेकेदार ने निरस्तीकरण के नोटिस को वापस लेने और लंबित भुगतानों को जारी करने, 31 मार्च 2020 तक समय विस्तार प्रदान करने, परिसमापक हानि का उद्ग्रहण माफ करने और वृद्धि प्रदान करने का अनुरोध किया (जुलाई 2019)।

कार्य के हित में विभाग ने बकाया कार्य के रनिंग बिलों से 10 प्रतिशत राशि रोककर सभी लंबित भुगतानों को जारी करने का निर्णय लिया (अगस्त 2019) और समय विस्तार प्रदानगी से संबंधित मुद्दे को तीन माह के बाद समीक्षा के लिए लंबित रखा गया था। कार्य की समीक्षा के साथ-साथ समय विस्तार और परिसमापक हानि के उद्ग्रहण के संबंध में निर्णय तीन माह अर्थात् नवंबर 2019 के बाद किया जाना था जिसे पूरा होते नहीं देखा गया था।

30 जून 2019 तक एजेंसी ने ₹ 60.70 करोड़ की राशि का कार्य पूरा कर लिया था। इसलिए, अनुबंध की समाप्ति के मामले में ₹ 15.60[18] करोड़ (₹ 9.25 करोड़ पर परिसमापक हानि सहित) की राशि ठेकेदार से वसूल की जानी थी।

ठेकेदार ने लंबित भुगतानों को जारी करने का अनुरोध किया (जनवरी 2020) और अनुबंध की क्लॉज 24 के अंतर्गत विवाद निवारण प्रणाली लागू की, जिसमें बताया गया है कि ₹ 10 करोड़ से अधिक मूल्य के अनुबंध से संबंधित विवाद के लिए एजेंसी पहले संबंधित अधीक्षण अभियंता से अपील कर सकती है।

कार्य पूरा करने के लिए जून 2020 (फरवरी 2020) और अगस्त 2020 (जुलाई 2020) के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसके विपरीत, ठेकेदार ने 31 मार्च 2021 तक समय विस्तार के लिए अनुरोध किया (जुलाई 2020)। विश्वविद्यालय के अधिकारियों, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के अधिकारियों और एजेंसी के मध्य कई बैठकें हुई (सितंबर 2020, दिसंबर 2020, फरवरी 2021 और जून 2021), जिनमें एजेंसी ने आश्वासन दिया कि कार्य 30 जुलाई 2021 तक पूरा हो जाएगा, भले ही एजेंसी ने अपने स्वयं के आश्वासनों का उल्लंघन जारी रखा।

कुलपति के आवास और विवादित भूमि की चारदीवारी के ढांचे को खत्म करने को छोड़कर एजेंसी द्वारा कार्य पूरा किया गया था (31 जुलाई 2021), तथापि, प्रमुख अभियंता ने जुलाई

---

17 जून 2019 तक पहली और दूसरी मंजिल और जुलाई 2019 तक तीसरी मंजिल को पूरा करना।

18 ₹ 15.60 करोड़ = ₹ 9.25 करोड़ (परिसमापक हानि) + ₹ 6.35 करोड़ (₹ 31.76 करोड़ के बचे हुए कार्य के लिए पेनल्टी)।

2021 तक समय विस्तार की अनुमति दी (अक्तूबर 2021)।

विभाग ने नवंबर 2021 में रनिंग बिलों से ₹ 3.14 करोड़[19] की रोकी गई परिसमापक हानि की राशि को वापस कर दिया जिसे अनुबंध के प्रावधानों से बाहर और किसी पूरक अनुबंध द्वारा समर्थित न होने के कारण अनियमित माना जाता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ठेकेदार के लगभग 30 माह के विलंब को माफ करने के कारण ₹ 9.25 करोड़ की परिसमापन हानि का उद्ग्रहण नहीं हुआ, 25 माह के लिए अवरुद्ध पूंजी (₹ 60.70 करोड़) की ब्याज लागत (₹ 9.76[20] करोड़) की हानि हुई, जो कि हरियाणा सरकार की लागत पर ठेकेदार को अनुचित लाभ था। इसके अलावा, अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 के दौरान किराए के परिसर में संचालन के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की गई ₹ 1.10 करोड़ की राशि का भी नुकसान हुआ है।

इस प्रकार, अनुबंध को समाप्त न करने और परिसमापक हानि तथा पेनल्टी का उद्ग्रहण न करने, ब्याज हानि और भुगतान किए गए किराए के कारण सरकार को ₹ 26.46[21] करोड़ की हानि हुई। अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के साथ दिनांक 11 मई 2022 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें यह सूचित किया गया था कि आरंभ में साइट विवाद के कारण कार्य रुका हुआ था और आगे संतोष व्यक्त किया कि पूर्णता की निर्धारित तिथि के बाद ठेकेदार को कोई समय विस्तार नहीं दिया गया जो कि ठेकेदारों पर भी एक वित्तीय बोझ है। विभाग का तर्क तर्कसंगत नहीं था क्योंकि साइट की अनुपलब्धता तक की अवधि को परिसमापक हानि के उद्ग्रहण के उद्देश्य से बाहर रखा गया है और उद्गृहीत/उद्ग्राह्य (बिना किसी प्रलेखीकरण के) परिसमापक हानि के गैर-लेखांकित समायोजन के माध्यम से संभावित हानियों का समायोजन न तो पारदर्शी है और न ही आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशाली होने का आश्वासन है। इस तरह के अनधिकृत उपयोग और विवेक की स्वीकृति (कार्य/सरकार के हित में तर्कपूर्ण रूप से की गई) विभाग की कार्यप्रणाली में आंतरिक नियंत्रण से समझौता करती है और दुरुपयोग का जोखिम उठाती है।

---

19 एजेंसी से 35वें बिल से 52वें बिल (सितंबर 2019 से जुलाई 2021) तक एकत्र किया गया।

20 पहले 24 माह: {₹ 60.70 करोड़ $*(1.0741)^2$} = ₹ 70.03 करोड़, चक्रवृद्धि ब्याज = ₹ 70.03 करोड़ - ₹ 60.70 करोड़ = ₹ 9.33 करोड़ और 25वें माह के लिए ब्याज = {₹ 70.03 करोड़ - (₹ 70.03*1.0062)} = ₹ 0.43 करोड़।

कुल ब्याज = ₹ 9.33 करोड़ + ₹ 0.43 करोड़ = ₹ 9.76 करोड़।

21 ₹ 26.46 करोड़ = बचे हुए कार्य के लिए पेनल्टी: ₹ 6.35 करोड़ + परिसमापक हानि: ₹ 9.25 करोड़ + ₹ 60.70 करोड़ की अवरुद्ध पूंजी की ब्याज लागत: ₹ 9.76 करोड़ + भुगतान किया गया किराया: ₹ 1.10 करोड़।

लोक निर्माण विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

5.7 निविदा आबंटन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताएं

निविदा आबंटन समिति ने गैर-पारदर्शी ढंग से कार्य किया और बोली मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता से समझौता करने वाले योग्य बोलीदाताओं को शामिल नहीं किया, विभिन्न निविदाओं में विभिन्न मानकों का इस्तेमाल किया, मानक बोली दस्तावेज में निहित मौजूदा निर्देशों और प्रावधानों के साथ असंगत निर्णय लिया।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैराग्राफ 14.8.2 के अनुपालन में निविदा की दो लिफाफा[22] प्रणाली का पालन करता है। सक्षम प्राधिकारी तकनीकी बोलियों के आधार पर उत्तरदायी योग्य बोलियों को अनुमोदन प्रदान करता है। तत्पश्चात, योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाती हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए विचार किया जाता है। निविदा आबंटन समिति, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रमुख अभियंता तथा इसके सदस्यों के रूप में सभी मुख्य अभियंता एवं मुख्य लेखा अधिकारी शामिल होते हैं, ₹ पांच करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए निविदाएं स्वीकार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं। निविदाएं विभाग में अपनाए गए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के आधार पर आमंत्रित की जाती हैं।

लेखापरीक्षा ने प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यालय में यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 11 निविदा मामलों **(परिशिष्ट 5.1)** की संवीक्षा (अक्तूबर 2020[23] के बाद जून 2021 और जुलाई 2021 में आगे की संवीक्षा) की कि:

- निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों के अनुरूप है।
- विभिन्न निविदाओं में निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया सुसंगत है।

11 निविदा मामलों में कुल 35 बोलियां प्राप्त हुई थीं। परिणामों का सारांश निम्नानुसार है:

5.7.1 प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षर की आवश्यकता की अनदेखी

(i) मानक बोली दस्तावेज के सेक्शन 1 की क्लॉज 4.5 बोलीदाता की उपलब्ध बोली क्षमता के निर्धारण से संबंधित है। इसकी गणना बोलीदाता की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को कुल बोली क्षमता से घटाकर की जाती है, जिसकी गणना बोलीदाता द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर की जाती है। यह क्लॉज प्रावधान करती है कि मौजूदा प्रतिबद्धताओं और चल रहे कार्यों के मूल्य के साथ-साथ सूचीबद्ध प्रत्येक शेष कार्य के लिए पूरा होने की निर्धारित अवधि को प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जो कार्यकारी अभियंता या समकक्ष के पद से नीचे का न हो।

---

22 लिफाफा 1-तकनीकी बोली है जिसमें योग्यता जैसे कि उसी प्रकार के कार्यों में अनुभव, कार्मिकों एवं उपकरणों के संबंध में क्षमता, वित्तीय स्थिति, बयाना राशि, आदि के विषय में जानकारी होती है तथा लिफाफा 2-वित्तीय बोली है।

23 वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान।

क्लॉज की प्रासंगिकता यह जांच करना है कि बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ठेकेदार के पास पर्याप्त बोली क्षमता है अथवा नहीं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठेकेदार द्वारा दर्शाई गई मौजूदा प्रतिबद्धताओं/चल रहे कार्यों की मात्रा प्रामाणिक है और बोलीदाताओं द्वारा तथ्यात्मक रूप से गलत दस्तावेजों से बचाव के लिए है।

यह देखा गया था कि 11 निविदा मामलों में 35 बोलियों में से 31 में ठेकेदार की मौजूदा प्रतिबद्धताओं तथा चल रहे कार्य विवरणी प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं थी। दो बोलियों में, बोलीदाता द्वारा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। अन्य दो बोलियों में, बोलीदाता द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए थे (ये दोनों बोलियां परिशिष्ट 5.1 की क्रम संख्या 10 में दिए गए कार्य से संबंधित हैं)। यह आवश्यक दस्तावेज है जिसके द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि ठेकेदार के पास कार्य को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय स्थिरता है। निविदा आबंटन समिति ने इन सभी 31 बोलीदाताओं को उत्तरदायी पाया और उन बोलीदाताओं को दस कार्य आबंटित किए जिन्होंने मानक बोली दस्तावेज के सेक्शन 1 की क्लॉज 4.5 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

(ii) मानक बोली दस्तावेज के **सेक्शन 2 के अंतर्गत क्लॉज 1.3 (ए)** में प्रावधान है कि ठेकेदार द्वारा संलग्न किए जाने वाले सभी प्रमाण-पत्र नियोक्ता/अभियंता से निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। निर्धारित प्रारूप में सौंपे गए कार्यों यथा परियोजना का नाम; पूरे पते के साथ नियोक्ता/इंजीनियर का नाम; आरंभ होने की तिथि सहित कार्य का विवरण, किए गए कार्य की प्रतिशतता, पूरा होने की निर्धारित तिथि, राशि आदि के विभिन्न विवरणों का प्रावधान है। इस जानकारी का उपयोग सेक्शन 1 की क्लॉज 4.5 के अंतर्गत बोली क्षमता की गणना के लिए किया जाता है।

चूंकि विभाग, प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा का पालन नहीं करता है इसलिए इसमें बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए विसंगतिपूर्ण डेटा का जोखिम होता है जैसा कि निम्नलिखित मामलों में बताया गया है:

- परिशिष्ट 1 की क्रम संख्या 7 एवं 8 में दिए गए कार्यों में बोलीदाता मैसर्ज दयानंद ठेकेदार ने दोनों निविदाओं में चल रहे कार्यों के मूल्य का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किया। क्रम संख्या 7 पर कार्य के मामले में, 21 दिसंबर 2018 को चल रहे तीन कार्यों का शेष मूल्य ₹ 300 लाख, ₹ 20 लाख एवं ₹ 10 लाख दिया गया था। जबकि क्रम संख्या 8 पर कार्य के मामले में, 7 फरवरी 2019 को उन्हीं तीन चल रहे कार्यों का शेष मूल्य ₹ 400 लाख, ₹ 50 लाख और ₹ 25 लाख प्रस्तुत किया गया था।

  यह आकलन किया जाता है कि चल रहे कार्यों का मूल्य दिसंबर 2018 और फरवरी 2019 के मध्य घट जाना चाहिए था। इसलिए, कथन गलत था। तथापि, दोनों कार्य मैसर्ज दयानन्द कांट्रेक्टर को कार्य प्रदान किए गए थे।

- एक अन्य उदाहरण में बोलीदाता मैसर्ज बिशन प्रकाश एंड कंपनी (क्रम संख्या 11)

ने अपनी बोली ऑनलाइन प्रस्तुत की। बाद में, यह बात सामने आई कि उन्होंने ₹ 10.69 करोड़ की राशि के चल रहे कार्य को शामिल नहीं किया। इस प्रकार के लोप या चूक के लिए कोई प्रणालीगत प्रति-जांच तंत्र मौजूद नहीं है। यह मामला केवल इस तथ्य के कारण प्रकाश में आया क्योंकि उक्त चल रहा कार्य उसी मंडल में हुआ था।

योग्यता आवश्यकताओं के प्रमाण में भ्रामक या झूठे फॉर्म, संलग्नक प्रस्तुत करने के लिए हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैराग्राफ 14.10.1 के प्रावधानों के अंतर्गत बोलीदाता को गैर-उत्तरदायी घोषित करने के बजाय, उसे उत्तरदायी घोषित किया गया।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कार्यकारी अभियंता या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर न किए जाने के कारण, बोलीदाता चल रहे कार्य के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत कर सकता है।

इस प्रकार 11 निविदाओं में 31 बोलियों को अनुक्रियाशील घोषित करना मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों के साथ असंगत था। मूल्यांकन की गई 11 निविदाओं अनुक्रियाशील इन 31 बोलियों को स्वीकार करने के संभावित प्रभाव के कारण ₹ 177.94[24] करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 10 कार्यों (क्रम संख्या 10 पर एक को छोड़कर) को प्रदान किया गया। इसने कार्यों के निष्पादन के लिए संसाधनों के साथ बोलीदाताओं को सुनिश्चित करने के सरकारी हितों को संरक्षित करने के विरुद्ध निविदा प्रक्रिया को भंग कर दिया।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अपर मुख्य सचिव ने सूचित किया (मई 2022) कि "उपचारात्मक उपाय के रूप में, इस मुद्दे को विभाग द्वारा विभिन्न मंचों पर चर्चा/विचार-विमर्श के दौरान उठाया गया है और अब सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों के सामान्य बोली दस्तावेज सामने आए हैं और प्रभारी अभियंता, जो कार्यकारी अभियंता के पद से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी मौजूदा प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर करना हटा दिया गया है। यह जानकारी अब ठेकेदार द्वारा सेक्शन 2 की क्लॉज 1.33 के अंतर्गत दी जानी है।" सामान्य बोली दस्तावेज में उपर्युक्त क्लॉज की चूक स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सरकार के हितों की रक्षा नहीं करती है क्योंकि बोलीदाताओं की 'उपलब्ध बोली क्षमता का आकलन करने के लिए यह क्लॉज सीधे सूचना की विश्वसनीयता से जुड़ी है। आगे, विसंगतिपूर्ण डेटा के उदाहरणों का वर्णन ऊपर अनुच्छेदों में पहले ही किया जा चुका है।

5.7.2 मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रभारी अभियंता के हस्ताक्षर आवश्यक बनाना

मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 4.2(ii)(ए)(सी) वित्तीय टर्नओवर, निष्पादित समान कार्यों की मात्रा और हाल के वर्षों में निष्पादित कार्य की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की मात्रा के संबंध में आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है। क्लॉज का उद्देश्य कार्य हेतु ठेकेदार के अनुभव तथा निष्पादन क्षमताओं की जांच करना है।

[24] 11 निविदाओं का कुल बोली मूल्य (₹ 192.06 करोड़) - क्रमांक 10 पर निविदा का बोली मूल्य (₹ 14.12 करोड़) = ₹ 177.94 करोड़।

मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज के अनुसार निष्पादित मात्रा के दस्तावेजों को प्रभारी अभियंता से हस्ताक्षरित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, विभाग ने इस व्यवहार का पालन किया था कि ठेकेदार के पूर्ण कार्यों का विवरण प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। 35 बोलियों वाले 11 निविदा मामलों की जांच में, यह देखा गया था कि 35 बोलीदाताओं में से 32 ने क्लॉज 4.2(ii) की अपेक्षाओं के विरुद्ध निष्पादित मात्रा के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इसमें 31 को कार्यपालक अभियंता (क्रम संख्या 1 से संबंधित बोली में मैसर्ज ओरिएंटल सेरामिक्स एंड रेफ्रेक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और उत्तरदायी माना गया और एक कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं था और गैर-उत्तरदायी माना गया था। इस संबंध में तीन बोलीदाताओं ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। इस प्रकार, विभाग बोलीदाताओं को गैर-उत्तरदायी बनाने के लिए एक कारक के रूप में प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर पर विचार कर रहा है।

इस बोली को गैर-उत्तरदायी मानने में निविदा आबंटन समिति की कार्रवाई मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 4.2 (ii) के प्रावधान के साथ असंगत थी तथा व्यापक भागीदारी के उद्देश्य के विरूद्ध निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया और कीमत के उच्च निर्धारण का जोखिम उठाया। योग्य बोलीदाता को गैर-उत्तरदायी बनाने का संभावित प्रभाव ₹ 13.67 करोड़ (क्रम संख्या 1) होने का आकलन किया गया है।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अपर मुख्य सचिव ने सूचित किया (मई 2022) कि "नियोक्ता को वेबसाइट पर बोली (तकनीकी बोली) के भाग-I को अस्वीकार करने के कारणों सहित बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के परिणाम को दर्शाना होगा। इसके बाद, नियोक्ता योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलने से पहले सात दिनों तक प्रतीक्षा करेगा ताकि अयोग्य बोलीदाताओं को, यदि वे चाहें तो, कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी उपाय का लाभ उठाने का अवसर दे सकें", के रूप में इस तरह के मामलों के विरुद्ध उपचारी उपायों को सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों के सीबीडी के सेक्शन 1 की क्लॉज 23.7 में शामिल किया गया है।

उपचारी कार्रवाई लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मुद्दे से संबंधित नहीं है बल्कि बोलीदाताओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने से संबंधित है। इसमें शामिल अधिकारियों की कार्रवाई को न तो कमी के रूप में निर्धारित किया जाता है और न ही यह तय किया जाता है कि कोई कमी नहीं थी।

उपर्युक्त, विभाग में निविदा मूल्यांकन तंत्र में व्यापक विसंगतियों को दर्शाता है।

5.7.3 निविदा मामलों के मध्य निविदा मूल्यांकन में विभेद

(i) ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने की तिथि के बाद दस्तावेजों की स्वीकृति

मानक बोली दस्तावेज के सेक्शन 1 की क्लॉज 19.3 में प्रावधान है कि बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित नहीं किया जा सकता है। आगे क्लॉज 17.3 में प्रावधान है कि ठेकेदार/एजेंसी द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए, इंजीनियर द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए, या आवश्यकतानुसार, बोली दस्तावेजों में कोई परिवर्तन

या परिवर्धन नहीं होगा और ऐसे सुधारों पर बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

क्लॉज का उद्देश्य सभी के लिए निविदा प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना और इसे यथासंभव पारदर्शी बनाना है। बोली में उल्लिखित समय-सीमा के बाद किसी भी दस्तावेज को बोली में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह देखा गया था कि क्रम संख्या 11 में कार्य के सबंध में एक बोलीदाता मैसर्ज बिशन प्रकाश एंड कंपनी ने मानक बोली दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, चल रहे कार्यों के विवरण जो अभियंता के प्रति-हस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किए गए हैं (जैसा कि पहले उप-पैरा 2.8.1 (ii) में उल्लिखित है) गलत पाए गए थे। आयोजित बैठक (जून 2021) में निविदा आबंटन समिति ने ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की तिथि के बाद एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अद्यतन विवरण (प्रतिनिधित्व के माध्यम से) पर विचार किया। तदनुसार, निविदा आबंटन समिति द्वारा अपने स्वयं के दिशानिर्देशों के बावजूद, कि ऑनलाइन बोली जमा करने की तिथि के बाद एजेंसी/ठेकेदार के किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा, एजेंसी को गैर-उत्तरदायी के बजाय उत्तरदायी घोषित किया गया था जिसने निविदा प्रक्रिया को भंग कर दिया।

11 मामलों की जांच में 2 मामलों में निविदा ऑनलाइन जमा करने की तिथि के पश्चात ठेकेदार द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। एक मामले में (क्रम संख्या 1) दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया गया है और ठेकेदार को गैर-उत्तरदायी ठहराया गया है। जबकि अन्य मामले में (क्रम संख्या 11) निविदा आबंटन समिति ने ठेकेदार के दस्तावेज पर विचार किया और उसके बाद उसे उत्तरदायी ठहराया।

एक बोलीदाता को उत्तरदायी बनाने का संभावित प्रभाव ₹ 28.01 करोड़ आंका गया है। कार्यान्वयन के स्तर पर वास्तविक प्रभाव के संदर्भ में संभावित प्रभाव का आकलन इस लेखापरीक्षा कार्य में शामिल नहीं किया गया है।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अपर मुख्य सचिव ने सूचित किया (मई 2022) कि इस संबंध में उपचारी उपाय के रूप में प्रमुख अभियंता के कार्यालय द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब सभी विभागों/अर्ध-सरकारी विभागों के सामान्य बोली दस्तावेज सामने आए हैं जिनमें विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में ही नोट का उल्लेख इस प्रकार है:

बोली केवल ऑनलाइन होगी तथा हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किए गए बोलीदाता के मामले में बयाना राशि के अलावा किसी भी दस्तावेज को किसी भी भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे, सेक्शन-1 की क्लॉज 23.6 (ii) के अनुसार, तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा और बोलीदाता से उसकी तकनीकी बोली में कोई संशोधन नहीं मांगा जाएगा। बाद में बोलीदाता द्वारा अपनी तकनीकी बोली के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तथापि, पहले से ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संबंध में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

(ii) बैंक गारंटी/बयाना राशि जमा की वैधता निर्धारित अवधि से कम होने के साथ बोली की स्वीकृति

मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 15 में प्रावधान है कि ठेकेदार/एजेंसी को निर्दिष्ट राशि के लिए बयाना राशि जमा करने हेतु तथा क्लॉज 13 में निर्दिष्ट बोली की वैधता अवधि के बाद 45 दिनों के लिए वैध होना अपेक्षित है। ऐसी बयाना राशि जमा के रूप में गैर-प्रतिभूतित निविदा को अभियंता द्वारा गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार किया जाना अपेक्षित है।

मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 13 में वैधता की निर्धारित अवधि 90 दिन है, बयाना राशि जमा करने की अपेक्षित वैधता 135 दिन है। इस क्लॉज का उद्देश्य निविदा प्रदान किए जाने के बाद बोलीदाता को प्रक्रिया से हटने के जोखिम के विरुद्ध सरकार के हितों को संरक्षित करना है।

11 मामलों की जांच में, तीन मामलों (क्रम संख्या 2, 5 एवं 7) में बयाना राशि जमा/बैंक गारंटी बोली दस्तावेज के अनुसार वैध नहीं थी तथा क्रम संख्या 5 और 7 के कार्यों के लिए दो बोलीदाताओं के संबंध में यह 45[25] और 53[26] दिनों से कम पाई गई तथा फिर भी उन्हें उत्तरदायी माना गया। एक उदाहरण (क्रम संख्या 2) में दो ठेकेदारों को निविदा दस्तावेज में निर्धारित समय तक बयाना राशि जमा/बैंक गारंटी जमा नहीं करने के कारण गैर-उत्तरदायी ठहराया गया है।

दो[27] निविदाओं (इन दो एजेंसियों को निविदा प्रदान की गई थी) के मामले में बोलियों का उत्तरदायी पाया जाना मानक बोली दस्तावेज में निहित प्रावधानों के साथ असंगत था। दो बोलीदाताओं को उत्तरदायी घोषित करने का संभावित प्रभाव ₹ 36.47 करोड़ आंका गया है। कार्यान्वयन के स्तर पर वास्तविक प्रभाव के संदर्भ में संभावित प्रभाव का आकलन इस लेखापरीक्षा कार्य में शामिल नहीं किया गया है।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अपर मुख्य सचिव ने सूचित किया (मई 2022) कि विभिन्न कारकों के आधार पर इसे मामला-दर-मामला आधार पर निपटाया जाता है। ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं जहां इसने राज्य के राजकोष का पक्ष लिया। लेखापरीक्षा का विचार है कि निविदा प्रक्रिया पारदर्शी प्रणाली है, जहां सभी बोलीदाताओं के साथ योग्यता के आधार पर पारदर्शी ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त मामलों में कम समय-सीमा के लिए बैंक गारंटी/बयाना राशि जमा को स्वीकार करने के माध्यम से एजेंसी का पक्ष लिया गया है जबकि अन्य मामलों में इसे अस्वीकार कर दिया गया है। इससे एक ही पहलू पर बोली को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का विवेक होता है, जिसे न तो अनुमेय और न ही वांछनीय माना जाता है।

उपर्युक्त, अभ्युक्ति विभाग में निविदा मूल्यांकन तंत्र में व्यापक विसंगतियों को दर्शाता है।

---

[25] अपेक्षित तिथि=15 नवंबर 2018 + 135 = 30 मार्च 2019; वैधता की वास्तविक तिथि=13 फरवरी 2019.

[26] अपेक्षित तिथि=14 फरवरी 2019 + 135 = 29 जून 2019; वैधता की वास्तविक तिथि= 7 मई 2019.

[27] (i) टिब्बा दाना शेर कंपनी एल. एंड सी. सोसाइटी लिमिटेड (क्रमांक 5) ₹ 11.47 करोड़ (ii) मैसर्ज दया नंद कांट्रैक्टर (क्रमांक 7) ₹ 25 करोड़।

5.7.4 अद्यतित मानक बोली दस्तावेज

लेखापरीक्षा करने के बाद, हरियाणा सरकार ने 20 मई, 2021 को ₹ एक करोड़ और उससे अधिक लागत वाले कार्यों के लिए मानक बोली दस्तावेज को अद्यतन किया।

(i) पुराने मानक बोली दस्तावेज की सेक्शन 1 के अंतर्गत क्लॉज 4.2 (ii) को सेक्शन ए की क्लॉज 4.5 ए के रूप में परिवर्तित किया गया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियोक्ता से अर्हता जानकारी के साथ एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से कार्य के नाम, संविदा मूल्य, बिलिंग राशि, कार्य प्रारंभ होने की तिथि, ठेकेदार का संतोषजनक निष्पादन और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी का उल्लेख होगा। इसलिए पिछले पांच वर्षों में निष्पादित कार्यों और विशेष मदों को संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

(ii) आगे, पुराने मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 4.5 को सेक्शन ए की क्लॉज 4.6 के रूप में परिवर्तित किया गया है। मानक बोली दस्तावेज के अद्यतित संस्करण में प्रभारी अभियंता से मौजूदा प्रतिबद्धताओं को प्रतिहस्ताक्षरित करने की आवश्यकता को छोड़ दिया गया है।

यह देखा गया है कि इस अद्यतीत मानक बोली दस्तावेज के माध्यम से हरियाणा सरकार ने मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों को संशोधित किया है ताकि इसे अपनाई जा रही प्रथा के अनुरूप बनाया जा सके और मौजूदा प्रतिबद्धताओं के संबंध में बोलीदाता द्वारा गलत बयानी का जोखिम उठाया जा सके। तथापि, बोलीदाताओं द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए नियोक्ता से प्रमाण-पत्र बनाना एक सुधार के रूप में मूल्यांकन किया जाता है।

विभाग के साथ दिनांक 25 मई 2022 को एग्जिट मीटिंग आयोजित की गई जिसमें विभाग ने पहले से प्रस्तुत उत्तर (अप्रैल/मई 2022) को दोहराते हुए बताया कि मानक बोली दस्तावेज के सेक्शन 1 की क्लॉज 4.5 के संबंध में आवश्यक संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं। ठेकेदारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। चल रहे कार्यों के अलग-अलग मूल्य का मुख्य कारण यह है कि उस अवधि के दौरान कार्यों को संशोधित/बढ़ाया गया था। आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं है। विभाग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है और कोई वित्तीय हानि नहीं है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि बोली क्षमता की गणना अभी भी निविदा मूल्यांकन का हिस्सा है। प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता का न होना सरकार के हित में नहीं है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि तथ्यों के गलत विवरण के किसी भी जोखिम को रोका जा सके। लेखापरीक्षा का विचार है कि बोली की अस्वीकृति/स्वीकृति एक समान होनी चाहिए न कि स्व-निर्धारित विवेक के आधार पर बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए, जिसका मूल्यांकन लेखापरीक्षा में सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, स्थिरता और मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं के सिद्धांतों के विरुद्ध किया गया है।

सिफारिश: राज्य सरकार ऊपर दर्शाए गए विचलन के लिए निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच करने पर विचार करे।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

5.8 निर्धारित मानदण्डों/प्रक्रियाओं का पालन न करने के परिणामस्वरूप विकास कार्यों के कारण ठेकेदारों को अनियमित भुगतान

प्राक्कलनों के अनुमोदन के बिना निर्धारित ई-निविदा प्रक्रिया की उपेक्षा करके ठेकेदार को कार्यों का आबंटन, ठेकेदार के नाम में मामूली बदलाव से आबंटन की पुनरावृत्ति, लेकिन एक ही टिन नंबर और व्यवसाय का स्थान होने से नगर निगम फरीदाबाद को ₹ 23.80 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इन भुगतानों के विरुद्ध कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उसी ठेकेदार को ₹ 183.83 करोड़ की राशि उचित दस्तावेज के बिना वितरित की गई थी जो कमजोर आंतरिक और वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

संहिता के पैराग्राफ 10.1.3 में प्रावधान है कि अनुमान इच्छित उद्देश्य के लिए लागत प्रभावी प्रस्ताव होगा और यथासंभव सटीक होगा। आगे, संहिता के पैराग्राफ 9.5.1 के अनुसार, प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किया जाना चाहिए। यह संस्वीकृति तकनीकी संस्वीकृति के रूप में जानी जाएगी और वास्तविक निष्पादन से पहले होनी चाहिए। संहिता के पैराग्राफ 9.5.5 में प्रावधान है कि विस्तृत अनुमान में उपभोग की जाने वाली प्रमुख सामग्रियों की मात्रा और लागत की इकाई दरों का उल्लेख होना चाहिए। संहिता के पैराग्राफ 9.3.8 में यह भी प्रावधान है कि उच्च प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को, इस तथ्य से नहीं टाला जा सकता है कि परियोजना में प्रत्येक विशेष कार्य की लागत अनुमोदन प्रदान करने वाले निचले प्राधिकारी की शक्तियों के अधीन है।

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा ने दिसंबर 2014 से प्रभावी आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत सभी सिविल निर्माण कार्यों, भंडारों की खरीद या श्रमिकों की नियुक्ति के लिए ई-निविदा प्रणाली को लागू करने के राज्य सरकार के निर्णय के बारे में सभी नगरपालिकाओं को सूचित किया (नवंबर 2014)। आदेशों को दोहराया गया और यह निर्देश दिया गया (अप्रैल 2015) कि समान प्रकृति के कार्य के प्राक्कलनों का विभाजन न किया जाए, अन्यथा सरकार के निदेशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव किया जाएगा। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश संख्या 19/24/2015 दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा निर्धारित किया कि कार्यों की लागत को उप-विभाजित करके हेरफेर नहीं किया जाना चाहिए ताकि उनकी पिच नगरपालिकाओं की सक्षमता के भीतर बनी रहे और लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का हमेशा अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

आगे, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया (जून 2016) कि राज्य में भंडारों/वस्तुओं/कार्यों/सेवाओं की खरीद के संबंध में ई-निविदा का न्यूनतम प्रारंभिक मूल्य प्रत्येक मामले (आदेश के विभाजन के बिना) में ₹ एक लाख होगा।

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए नगर आयुक्त, फरीदाबाद (एमसीएफ) की

20 मई 2019 से 19 जुलाई 2019 तक की गई लेखापरीक्षा के दौरान यह मूल्यांकन किया गया था कि श्री सतबीर सिंह ठेकेदार और उनकी एजेंसियों को ₹ 7.85 करोड़[28] की लागत के 164 विकास कार्यों का भुगतान एजेंसी के नाम में मामूली बदलाव के साथ किया गया था, लेकिन प्रत्येक बिल पर मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर के प्रावधान के अंतर्गत एक ही करदाता पहचान संख्या (टिन) थी। ठेकेदार को निष्पादित मदों में समानता वाले विकास कार्यों, जैसे (i) नालियों की मरम्मत (ii) स्टोन मेटल सप्लाई (iii) इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक में सीमेंट कंक्रीट का कार्य, के लिए समान टिन संख्या (06822828315) और प्रत्येक मामले में ₹ पांच लाख से कम राशि वाले बिलों के माध्यम से समान मात्रा और समान राशि में भुगतान किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम और पता	विकास कार्यों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	मैसर्ज सतबीर सिंह, ठेकेदार, नंबर 545 प्रवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद, नंबर 545 पर्वतीय कॉलोनी, फरीदाबाद	46	220.20
2	मैसर्ज सतबीरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 545 प्रवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद	28	134.09
3	मैसर्ज सातवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 545 प्रवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद	34	163.00
4	मैसर्ज सातवी प्रीकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, 545 प्रवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद	28	134.09
5	मैसर्ज सातवी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, 545 प्रवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद	28	134.09
कुल		**164**	**785.47**

आगे यह देखा गया था कि इन विकास कार्यों को श्री सतबीर सिंह ठेकेदार और चार एजेंसियों के नामों में थोड़ा सा परिवर्तन करके उनसे प्राप्त कोटेशन के विरुद्ध निष्पादित किया गया था जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है। 18 मामलों में कोटेशन पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे जबकि पांच मामलों में कोटेशन प्राप्त करने की तारीख नहीं थी। आगे, यह भी देखा गया था कि इन कार्यों के लिए कोई विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किया गया था और तकनीकी संस्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी। केवल विवरण दिए गए हैं जैसे कि विभिन्न सैक्टरों में विभिन्न वार्डों में विभिन्न स्थानों पर नालियों की मरम्मत, सीमेंट कंक्रीट कार्य, इंटरलॉकिंग टाइलें उपलब्ध कराना और बिछाना आदि और इन कार्यों के निष्पादन को माप पुस्तकों में दर्ज किया गया बताया गया था जिन्हें लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

तद्नुसार लेखापरीक्षा में यह मूल्यांकन किया गया है कि लोक निर्माण विभाग के कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में कार्यों को विभाजित करके बाजार प्रतिस्पर्धा को त्यागकर कार्य के मनमाने आबंटन के माध्यम से ई-निविदा की पारदर्शिता से समझौता किया गया है। चूंकि कार्य समान प्रकृति के थे जो सभी मंडलों द्वारा दो से तीन माह के अंतराल के भीतर निष्पादित किए गए थे, प्रत्येक कार्य का विस्तृत अनुमान तैयार किया जा सकता था (समान प्रकृति के कार्यों को एक ही कार्य के रूप में निष्पादित करने के लिए समान मात्रा में विचार करके) और कार्य ई-निविदा तंत्र द्वारा आबंटित किए जा सकते थे। विभाग का तर्क कि कार्य हरियाणा की

[28] वाउचर संख्या 532 से 672 दिनांक 9 अप्रैल 2018 (आरटीजीएस/चेक संख्या 062899) और 829 से 852 दिनांक 19 जुलाई 2018 (आरटीजीएस/चेक संख्या 063907) के माध्यम से भुगतान किया गया।

दरों की अनुसूची पर निष्पादित किया गया है, मान्य नहीं है क्योंकि लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ हुडा (अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा अनुसूचित दरों से कम सहित असंख्य कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार, कार्य की कोटेशन-आधारित दरों की स्वीकृति, जिसमें ₹ 7.85 करोड़ की बड़ी राशि शामिल है, ने ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभान्वित किया है।

इसी प्रकार, प्रत्येक बिल को ₹ पांच लाख से कम रखते हुए एक ही ठेकेदार को वाउचर संख्या 896 से 957 दिनांक 11 अगस्त 2017 (आरटीजीएस/चेक संख्या 056452) के माध्यम से 96 कार्यों के लिए ₹ 459.87 लाख तथा वाउचर संख्या 55 से 154 दिनांक 31 मार्च 2017 (आरटीजीएस/चेक संख्या 024610) के माध्यम से 100 कार्यों के लिए ₹ 447.90 लाख का भुगतान किया गया जो कोटेशन के आधार पर और किसी विस्तृत अनुमान के अनुमोदन/समर्थन के बिना आबंटित किए गए थे।

₹ 1,693.24 लाख (360[29] कार्यों/बिलों के लिए) के मौद्रिक मूल्य के साथ उपर्युक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को वर्ष 2018-19 के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से नगर निगम, फरीदाबाद को अगस्त 2019 में जारी किया गया था। इसने मौलिक दस्तावेजों जैसे विधिवत अनुमोदित अनुमानों, गुणवत्ता रिपोर्टों, माप पुस्तकों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण तंत्र के उल्लंघन पर प्रकाश डाला। उपर्युक्त के अलावा, एजेंसी के नाम में मामूली बदलाव से एक ही ठेकेदार को भुगतान के संबंध में लेखांकन चूक को भी प्रकट किया गया था। इसके अतिरिक्त, 'ई-निविदा के बिना कार्यों का निष्पादन' शीर्षक से ₹ 14.77 करोड़ के 320 कार्यों को शामिल करने वाले अनुच्छेद 4.3.4.8 को वर्ष 2017-19 के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

उक्त मामला नगर निगम, फरीदाबाद में विभिन्न वार्डों के पार्षदों के संज्ञान में भी आया जब 28 मई 2020 को नगर निगम, फरीदाबाद की लेखा शाखा द्वारा पार्षदों को इन कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। पार्षदों ने आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद से शिकायत की कि 28 मई 2020 के पत्र में जिन 388 कार्यों का उल्लेख किया गया था, वे वास्तव में उनके वार्डों में निष्पादित नहीं किए गए थे। आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने कार्यालय आदेश संख्या 241 दिनांक 9 जुलाई 2020 और संख्या 3190 दिनांक 13 अगस्त 2020 के अंतर्गत एक समिति गठित की जिसमें संयुक्त आयुक्त (नगर निगम, फरीदाबाद), मुख्य अभियंता (नगर निगम, फरीदाबाद), जोन कराधान अधिकारी (मुख्यालय), उप-महापौर और वार्ड 26 के पार्षद शामिल थे। समिति ने मार्च 2021 में निष्कर्ष निकाला कि ठेकेदार और संबंधित कनिष्ठ अभियंता 388 कार्यों की सूची में से एक भी कार्य दिखाने में विफल रहे। समिति ने नियमित कनिष्ठ अभियंता के निलंबन के साथ-साथ एक अन्य कनिष्ठ अभियंता, जिसे आउटसोर्सिंग पर रखा गया था, की सेवाओं को बर्खास्त करने और दोनों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही का पंजीकरण करने की भी सिफारिश की। समिति द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि नगर निगम,

[29] 360 कार्य: ₹ 1,693.24 लाख = 164 कार्य: ₹ 785.47 लाख + 96 कार्य: ₹ 459.87 लाख + 100 कार्य: ₹ 447.90 लाख।

फरीदाबाद को इन 388 कार्यों के भुगतान के कारण ₹ 23.80 करोड़ का नुकसान हुआ था और तत्कालीन मुख्य अभियंता सहित सभी अधिकारियों के विरूद्ध एक विशेष एजेंसी से विस्तृत जांच की सिफारिश की थी।

इस मुद्दे का फिर से विश्लेषण किया गया और अप्रैल 2019 से मार्च 2021 की अवधि के लिए आयोजित लेखापरीक्षा के दौरान (मार्च से अक्तूबर 2021) नगर निगम, फरीदाबाद की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया। यह अवलोकित किया गया था कि मई/जुलाई 2020 में जांच समिति के गठन के बाद भी इस ठेकेदार को इसी तरह से निष्पादित किए गए कार्यों के लिए ₹ 7.70 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। इसके अलावा, इस भुगतान की प्रविष्टियां भी माह की रोकड़-बही में दर्ज नहीं की गई थीं तथा इस अवधि के लिए बैंक मिलान नहीं किया गया था और इसके कारण दर्ज नहीं की गई प्रविष्टि को अभिलेख में नहीं लाया जा सका था। लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे पर कवरेज के विस्तार से पता चला कि इस ठेकेदार को अप्रैल 2015 से जून 2020 तक ₹ 183.83 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस भुगतान में से ₹ 104.30 करोड़ के भुगतान के 375 वाउचर नगर निगम, फरीदाबाद की लेखा शाखा में उपलब्ध थे जबकि ₹ 79.53 करोड़ के भुगतान के 213 वाउचर नगर निगम, फरीदाबाद के लेखा कर्मियों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। बीच की अवधि में 20 अगस्त 2020 को लेखा परिसर में आग लगने की घटना भी हुई थी लेकिन आग की घटना के कारण नष्ट हुए अभिलेखों का कोई आकलन नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, विकास कार्यों के निष्पादन के भुगतान से निपटने के लिए नगर निगम, फरीदाबाद में कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र था और अगस्त 2019 में ₹ 16.93 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी होने के बाद भी प्राधिकारियों ने प्रभावी उपाय नहीं किए। निर्धारित निविदा प्रक्रिया के बजाय कोटेशन के आधार पर ठेकेदार को कार्य आबंटित किए गए थे। प्रक्रिया को दोहराया गया और ठेकेदार के नाम में मामूली बदलाव से कई गुना गुणा किया गया, लेकिन टिन नंबर और व्यवसाय का स्थान समान था। हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता द्वारा तैयार किए जाने वाले अपेक्षित कुछ महत्वपूर्ण मौलिक दस्तावेज तैयार नहीं किए जा रहे थे और प्राक्कलन के अनुमोदन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। ठेकेदार के विरूद्ध जांच शुरू करने के बाद भी ₹ 7.70 करोड़ का भुगतान किया गया। बैंक मिलान जैसी लेखांकन जांचों के अभाव में, संदिग्ध भुगतानों के आंकड़े में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, कार्यों के निष्पादन से निपटने में नगर निगम, फरीदाबाद के उदासीन दृष्टिकोण को इसके वित्तीय हित के लिए काफी हद तक हानिकारक माना जाता है क्योंकि उसी ठेकेदार को ₹ 183.83 करोड़ की राशि वितरित की गई थी जिससे कमजोर वित्तीय और आंतरिक नियंत्रण तंत्र का संकेत मिलता है।

सिफारिश: सरकार जिम्मेदारी तय करने और ठेकेदार के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए मामले की गहन जांच शुरू करने पर विचार करे।

मामला प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार को उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (4 मई 2022)। उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग

5.9 साईट को अंतिम रूप देने में आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण ₹ 3.39 करोड़ की अधिक लागत तथा ₹ 48.89 लाख का निष्फल व्यय

राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल की स्थापना में तीन वर्ष का विलंब होने के कारण राज्य की सामान्य जनता एवं विद्यार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करने के अलावा राजकोष पर ₹ 3.88 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से इसे लागू करने के लिए 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रारंभ किया।

स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत अंबाला जिले में सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव को शुरू करने के लिए आयुष हरियाणा, पंचकुला निदेशालय को निर्देश दिया (फरवरी 2018)। ग्राम मंगलई में 11 एकड़ भूमि ₹ एक प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 33 वर्ष के पट्टे पर सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान हेतु गठित समिति द्वारा सिफारिश की गई थी जिसे मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया गया था (जून 2018)।

तद्नुसार, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा ने ग्राम मंगलई में कॉलेज के निर्माण हेतु ₹ एक प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 33 वर्ष के पट्टे पर आयुष विभाग के निदेशालय के नाम भूमि को स्वीकृत (अक्तूबर 2018) एवं हस्तांतरित (नवंबर 2018) किया।

ग्राम मंगलई में नए सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल की स्थापना के लिए ₹ 46.89 करोड़ के अनुमानित लागत प्राक्कलन को हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था (फरवरी 2019)। सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल के निर्माण का कार्य ठेकेदार[30] को कार्य शुरू होने की तारीख से 36 माह की निर्धारित समय-सीमा के साथ ₹ 35.93 करोड़ में आबंटित किया गया था (मार्च 2019)। ठेकेदार को स्टील की खरीद के लिए ₹ 2.99 करोड़[31] का प्रतिभूतित अग्रिम जारी किया गया था। आगे, सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल के भवन के संरचनात्मक डिजाइन की तैयारी के लिए मैसर्ज कॉन्टिनेंटल फाउंडेशन एजेंसी को ₹ 15.83 लाख की राशि का भुगतान किया गया था (सितंबर 2019)। ठेकेदार ने मंगलई कार्य-स्थल पर ₹ 25 लाख के कार्य का निष्पादन किया परन्तु कोई भुगतान नहीं किया गया था।

महानिदेशक, आयुष विभाग हरियाणा, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2021) से पता चला कि जब मंगलई साईट पर निर्माण कार्य चल रहा था तो हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को स्वास्थ्य मंत्री के मौखिक निर्देश पर जुलाई 2019 में साईट परिवर्तन के कारण कार्य रोकने के लिए कहा गया था क्योंकि साईट का निर्धारण शहर से दूर होने के कारण

---

30 मैसर्ज गर्ग एंड कंपनी।

31 ₹ 0.75 करोड़: जुलाई 2019 जमा ₹ 2.24 करोड़: मई 2019.

किया गया था। इसके बाद, नई समिति ने नग्गल में साइट की सिफारिश की (दिसंबर 2019) जो कॉलेज के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई (मई 2020)। अंत में, उपायुक्त, अंबाला द्वारा सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल के निर्माण के लिए गांव चांदपुरा में लगभग आठ एकड़ भूमि की सिफारिश की गई थी। नगर परिषद, अंबाला ने दिसंबर 2020 में आयुष विभाग को सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल स्थापित करने के लिए नगर निगम की भूमि का कब्जा इस शर्त के साथ सौंपा कि दिसंबर 2020 में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभाग को उक्त भूमि की बिक्री से प्राप्त आय के मद में ₹ 3.39 करोड़ नगर निगम, अंबाला के पास जमा कराने होंगे। नई साईट पर कार्य उसी ठेकेदार द्वारा फरवरी 2021 में शुरू किया गया। विभाग ने उक्त भूमि की बिक्री आय के मद में नगर निगम, अंबाला को ₹ 3.39 करोड़ की राशि का भुगतान किया (मार्च 2021)।

यह आगे देखा गया था कि प्राक्कलन को संशोधित करके ₹ 55.85 करोड़ किया गया (मई 2021) जो कि अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा प्रशासनिक रूप से जुलाई 2021 में अनुमोदित किया गया था। कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल संख्या, अंबाला कैंट ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि साईट परिवर्तन के बाद उसी ठेकेदार ने नई साईट अर्थात् चांदपुरा पर कार्य निष्पादित करना शुरू किया और ठेकेदार को ₹ 12.55 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। तथापि, दिसंबर 2021 तक केवल दस प्रतिशत प्रगति ही प्राप्त की जा सकी थी। यह अवलोकित किया गया था कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने 9वें रनिंग बिल के अंतर्गत पुरानी साईट से नई साईट तक स्टील की ढुलाई के लिए ठेकेदार को ₹ 8.06 लाख का भुगतान किया। अभिलेखों की संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि मंगलई राष्ट्रीय राजमार्ग-73 पर स्थित था तथा चांदपुरा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-73 से चार किलोमीटर दूर है, की तुलना में जनता के लिए अधिक सुलभ था।

इस प्रकार, अनुचित योजना, साईट परिवर्तित करने के लिए व्यक्तिपरक निर्णय तथा उचित प्रक्रिया का पालन न करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की विफलता के परिणामस्वरूप कार्य के निष्पादन में देरी हुई जिसके कारण समय बढ़ा और परिणामस्वरूप लागत भी बढ़ गई। मंगलई स्थल पर किए गए कार्य तथा ₹ 48.89 लाख[32] के अन्य व्यय निष्फल साबित हुए, विभाग को नई साईट के लिए ₹ 3.39 करोड़ मूल्य की भूमि की अतिरिक्त लागत भी वहन करनी पड़ी जो कि मंगलई में विभाग को निःशुल्क उपलब्ध थी। आगे, सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल को स्थापित करने में तीन वर्ष की देरी के साथ समय की अधिकता के परिणामस्वरूप सामान्य जनता और राज्य के छात्रों को इच्छित लाभ से वंचित करने के अलावा, राज्य के खजाने पर ₹ 3.88 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि ग्राम चांदपुरा में साईट का चयन जनहित में किया गया था (मई 2022)। दिसंबर 2019 में स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव से प्राप्त नोट के अनुसार साईट को परिवर्तित कर दिया गया था। इस नोट में यह बताया गया था कि मंगलई

[32] मंगलई में निष्पादित कार्य की लागत - ₹ 25 लाख, संरचनात्मक डिजाइन का भुगतान - ₹ 15.83 लाख और पुरानी साइट से नई साइट पर शिफ्ट करने का कैरिज प्रभार - ₹ 8.06 लाख (कुल = ₹ 48.89 लाख)।

में साईट रोगियों के लिए सुलभ और सुविधाजनक नहीं थी, इसलिए नग्गल की साईट का चयन किया जा सकता है। विभाग का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि ग्राम मंगलई में स्थल का चयन तीन गांवों की भूमि के उचित सर्वेक्षण के बाद किया गया था और कॉलेज के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया था। इसके अतिरिक्त, मंगलई में साईट की भूमि आयुष विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी, जबकि बाद की साईट (चांदपुरा) के लिए विभाग को ₹ 3.39 करोड़ की राशि नगर समिति को देनी थी।

सिफारिश: राज्य सरकार राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु साईट को अंतिम रूप देने में आंतरिक नियंत्रण लागू करने में विफलता के लिए जिम्मेदारी तय करने पर विचार करे।

उच्च शिक्षा विभाग

5.10 पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय में अनियमितताओं के कारण ₹ 92.58 लाख का परिहार्य व्यय

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 149 राजकीय कॉलेजों के लिए कम छूट दर पर ₹ चार करोड़ की पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय में अनियमितता के परिणामस्वरूप ₹ 79.96 लाख का परिहार्य व्यय एवं क्रय गतिविधि में लापरवाही के कारण ₹ 12.62 लाख की अतिरिक्त हानि हुई।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार को, हरियाणा राज्य में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति के दवारा ₹ एक करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद को अंतिम रूप देने की शक्ति प्रदान की गई है (अगस्त 2016)। राज्यों में पुस्तकों तथा प्राप्तकर्ता पुस्तकालयों के चयन के लिए दिशा-निर्देश राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता द्वारा निर्धारित किए गए हैं, साथ ही प्रतियों की संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के मध्य छूट की दर[33] निर्धारित की गई है। इसे उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अपनाया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा (अप्रैल 2019) को 'राजकीय कॉलेजों में पुस्तकालय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण' योजना के अंतर्गत ₹ चार करोड़ की राशि आबंटित की गई थी। निदेशक उच्च शिक्षा ने राज्य में 149 राजकीय कॉलेजों में स्थित सभी पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की केंद्रीकृत खरीद हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय कॉलेज, पंचकुला की अध्यक्षता में पांच सदस्यों[34] की राज्य स्तरीय क्रय समिति का गठन किया (अप्रैल 2019)।

---

[33] (i) 1-10 प्रतियां = 10 प्रतिशत; (ii) 11-25 प्रतियां = 15 प्रतिशत; (iii) 26-100 प्रतियां = 20 प्रतिशत; (iv) 101-200 प्रतियां = 25 प्रतिशत; (v) 201-500 प्रतियां = 30 प्रतिशत और (vi) 501 से अधिक प्रतियां = 35 प्रतिशत।

[34] (i) प्रिंसिपल, राजकीय कॉलेज, पंचकुला, (ii) उप-निदेशक, (iii) प्रिंसिपल, राजकीय महिला कॉलेज, सांपला, (iv) उप-निदेशक समन्वय (स्थानीय) और (v) उप-निदेशक कॉलेज-I (स्थानीय)।

समिति ने आठ प्रकाशकों[35] से अलग-अलग मात्रा में (अगस्त 2019) 149 कॉलेजों के लिए 252 पुस्तक शीर्षकों का चयन किया। हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने इन प्रकाशकों से राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत छूट के साथ पुस्तकों की खरीद को इस औचित्य पर मंजूरी दी कि बिलिंग कॉलेज-वार की गई थी और खरीदी जा रही पुस्तकों की प्रतियों की संख्या प्रत्येक कॉलेज के लिए एक से चार प्रतियों तक थी। चयनित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए प्रकाशकों को क्रय आदेश (10 सितंबर 2019) इस शर्त पर जारी किए गए थे कि प्रकाशकों को भुगतान करने से पहले संबंधित कॉलेजों से सुपुर्दगी प्राप्ति निदेशक उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करनी होगी। तथापि, निदेशक उच्च शिक्षा ने राजकीय कॉलेजों के सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किए (24 सितंबर 2019) कि सभी राजकीय कॉलेज की पुस्तकों के लिए केंद्रीकृत खरीद की गई तथा राजकीय कॉलेज को पुस्तकों की आपूर्ति इस शर्त के साथ की गई कि ट्रांसपोर्टर को मुहर लगी प्राप्ति जारी की जाए और ई-मेल द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा को पुस्तकें प्राप्त करने के संबंध में सूचना भेजी जाए। यह भी अवलोकित किया गया कि प्राप्त पुस्तकों की स्थिति प्रदान करते समय कॉलेजों द्वारा उल्लिखित प्रकाशकों के बजाय पुस्तकों को निदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय से प्रेषित किया गया था। विभाग ने प्रकाशकों को ₹ 399.98 लाख की पूरी राशि का भुगतान किया (अक्तूबर 2019)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जुलाई 2021) कि विभाग ने ₹ चार करोड़ मूल्य की पुस्तकों की खरीद के संबंध में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया क्योंकि ₹ एक करोड़ से अधिक मूल्य की खरीद को अंतिम रूप देने की शक्ति उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति के पास निहित थी। आगे यह अवलोकित किया गया कि राज्य स्तरीय क्रय समिति ने प्रकाशकों के मध्य व्यापक प्रचार के लिए बिना किसी अधिसूचना/विज्ञापन के पुस्तकों का चयन किया। यहां तक कि राज्य स्तरीय क्रय समिति ने प्रकाशकों के चयन के साथ-साथ पुस्तकों के आधार का विवरण देते हुए कार्यवृत्त तैयार नहीं किया। विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणाली निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी नहीं थी। इसलिए, प्रकाशकों के साथ-साथ पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया मनमानी थी और इसमें वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव था।

आगे यह अवलोकित किया गया कि चूंकि यह 149 कॉलेजों के लिए केंद्रीकृत खरीद थी और सभी कॉलेजों की ओर से समेकित भुगतान निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्रकाशकों को किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग चयनित पुस्तकों की 63,772[36] प्रतियों के थोक आदेश पर 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के मध्य छूट प्राप्त करने का पात्र था। 10 प्रतिशत की दर से कम छूट प्राप्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 79.96 लाख का अधिक व्यय हुआ **(परिशिष्ट 5.2)**।

---

[35] (i) ओंकार बुक्स, (ii) बसंत पब्लिकेशन, (iii) एकांत पब्लिकेशन, (iv) इंटरनेशनल पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, (v) विद्यानिधि, (vi) जीवन प्रकाशन, (vii) पूज्य प्रकाशन और (viii) ग्रीन बुक्स।

[36] 25 प्रतिशत छूट के लिए पात्र पुस्तकें: 22,201, 30 प्रतिशत छूट के लिए पात्र पुस्तकें: 21,903 और 35 प्रतिशत छूट के लिए पात्र पुस्तकें: 19,668.

अभिलेखों की संवीक्षा से आगे पता चला कि पुस्तकों के मूल मुद्रित मूल्य पर प्रस्तावित मूल्य सूची में अतिरिक्त मूल्य उद्धृत करने के कारण तीन प्रकाशकों[37] को ₹ 10.44 लाख का अनुचित भुगतान किया गया था, जिसे पुस्तकों के चयन के दौरान राज्य स्तरीय क्रय समिति द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, 149 कॉलेजों में से 48 कॉलेजों ने सूचित किया (अक्तूबर 2019 से फरवरी 2020) कि पुस्तकों की सूची में उल्लिखित प्रेषित पुस्तकों से ₹ 2.18 लाख मूल्य की पुस्तकें गायब पाई गईं और विभाग द्वारा प्रकाशकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। अक्तूबर 2019 में भुगतान करने से पहले दिए गए क्रय आदेश के अनुसार पुस्तकों की प्राप्ति को सत्यापित करने के लिए विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 12.62 लाख की अतिरिक्त हानि हुई **(परिशिष्ट 5.3)**। आगे, निदेशक उच्च शिक्षा ने सभी 149 कॉलेजों से पुस्तकों का सत्यापन किए बिना कॉलेजों द्वारा उचित स्थिति में पुस्तकों की प्राप्ति के संबंध में अदिनांकित प्रमाण-पत्र जारी किया।

इस प्रकार, पुस्तकों के उच्च मूल्य की खरीद में सरकारी निर्देशों का पालन करने में विभाग की विफलता और खरीद गतिविधि में समग्र लापरवाही के परिणामस्वरूप ₹ 92.58 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस (मई 2022) के दौरान विभाग ने बताया कि मिलान, प्रकाशकों से वसूली और विभागीय कर्मियों के संबंध में उत्तरदायित्व तय करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग ने आगे बताया कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता के दिशा-निर्देशों का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है। इस मामले की जांच करने का भी आश्वासन दिया गया था कि क्या ₹ एक करोड़ से अधिक की पुस्तकों की खरीद उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति के दायरे में आएगी क्योंकि इनमें कॉपीराइट शामिल है और खरीदी गई पुस्तकें संबंधित प्रकाशकों की संपत्ति होने की संभावना है।

लेखापरीक्षा का मत है कि मिलान की प्रक्रिया खरीद के समय की जानी चाहिए थी। विभाग ने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन दिशानिर्देशों का पालन किया किंतु खरीद के समय प्रकाशकों से छूट के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा।

सिफारिशें: राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी खरीद के निर्देशों का पालन न करने और भुगतान करने से पहले प्रत्येक कॉलेज से सुपुर्दगी रसीद प्राप्त न करने के संबंध में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर विचार करे। विभाग गुम हुई और अधिक प्रभारित पुस्तकों के सभी समान मामलों की जांच कर सुधारात्मक कार्रवाई करे।

[37] (1) एकांत प्रकाशन, (2) विद्यानिधि और (3) बसंत प्रकाशन।

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग

5.11 अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान - ₹ 41.30 करोड़

खिलाड़ियों को नकद पुरस्कारों के वितरण के संबंध में हरियाणा खेल एवं शारीरिक फिटनेस नीति के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप नीति का उल्लंघन हुआ तथा विभाग द्वारा अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान किया गया।

हरियाणा सरकार, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने मान्यता प्राप्त खेल क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के लिए मानदंड निर्धारित किए (अगस्त 1993)। नियमों के अनुसार, विभिन्न मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा आयोजित नौ[38] चिह्नित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। हरियाणा खेल नीति को वर्ष 2001 में चिह्नित नौ[39] नई प्रतियोगिताओं की शुरुआत के साथ संशोधित किया गया था, जिसे वर्ष 2009 में पुनःसंशोधित किया गया था। हरियाणा खेल नीति को वर्ष 2001 में नौ नई पहचान की गई प्रतियोगिताओं की शुरुआत के साथ संशोधित किया गया था जिसे वर्ष 2009 में और संशोधित किया गया था। हरियाणा खेल और शारीरिक स्वास्थ्य नीति 2015 के अनुच्छेद 26 ने युवा वर्ग के अंतर्गत नकद पुरस्कार प्रोत्साहनों में संशोधन के साथ तीन[40] नई प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। उपर्युक्त सभी नीतियों में जूनियर और सब-जूनियर श्रेणी की प्रतियोगिताओं को शामिल नहीं किया गया था।

आगे, हरियाणा सरकार, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए युवा और कैडेट श्रेणियों के टूर्नामेंटों को शामिल करते हुए जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों को नकद पुरस्कार देने के लिए अप्रैल 2017 से लागू नकद पुरस्कार योजना को अधिसूचित किया (सितंबर 2019), जो हरियाणा सरकार की पूर्व खेल नीतियों का हिस्सा नहीं थे।

विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि संबंधित जिले के संबंधित खिलाड़ियों से समाचार-पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम के अधिकारी और फिर निदेशालय स्तर की समिति द्वारा इन आवेदनों की जांच के बाद, पात्र खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें भेजी जाती हैं।

---

38 (i) ओलंपिक खेल, (ii) विश्व चैंपियनशिप/कप, (iii) राष्ट्रमंडल खेल/कप/चैंपियनशिप, (iv) एशियाई खेल, (v) एशियाई चैंपियनशिप/कप, (vi) राष्ट्रीय स्कूल खेल/चैंपियनशिप, (vii) अखिल भारतीय महिला खेल/उत्सव/ग्रामीण खेल टूर्नामेंट/प्रतियोगिताएं (viii) अखिल भारतीय सिविल सेवा टूर्नामेंट और (ix) अखिल भारतीय अंतरराज्यीय बोर्ड/विभाग/टूर्नामेंट।

39 (i) नेशनल चैंपियनशिप, (ii) नेशनल/साउथ एशियन गेम्स (एसएएफ), (iii) ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स/चैंपियनशिप, (iv) इंटरनेशनल वेटरन एथलेटिक्स चैंपियनशिप (आयु समूह 45-50 वर्ष), (v) नेशनल वेटरन एथलेटिक्स चैंपियनशिप (आयु समूह 45-50 वर्ष), (vi) मानसिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष ओलंपिक (अंतर्राष्ट्रीय), (vii) मानसिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व मैराथन, (viii) मानसिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एशियाई/राष्ट्रमंडल खेल और (ix) मानसिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष ओलंपिक (राष्ट्रीय)।

40 (i) युवा ओलंपिक खेल, (ii) युवा एशियाई खेल, और (iii) युवा राष्ट्रमंडल खेल।

निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा और 22 जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग में से आठ[41] जिला स्तरीय कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021) में पता चला कि विभाग ने 4,256 व्यक्तियों को 2004-05 से 2015-16 की अवधि के दौरान जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से (संपूर्ण राज्य में) ₹ 41.30 करोड़ की राशि के नकद पुरस्कारों का भुगतान किया, जिसमें मान्यता प्राप्त खेल निकायों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं के लिए युवा और कैडेट श्रेणियां भी शामिल थीं जैसा कि **तालिका 5.11.1** में विवरण दिए गए हैं। ये श्रेणियां (जूनियर और सब-जूनियर) सितंबर 2019 में जारी अधिसूचना से पहले किसी भी नकद पुरस्कार योजना के लिए पात्र नहीं थीं, जो उन्हें 2016-17 से पात्र बनाती हैं।

तालिका 5.11.1: अयोग्य खिलाड़ियों को 2004-16 की अवधि के लिए दिए गए नकद पुरस्कारों के विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	जूनियर खिलाड़ी		सब-जूनियर खिलाड़ी		युवा खिलाड़ी		कैडेट खिलाड़ी		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2004-05 से 2015-16	2,467	23.15	1,494	14.17	187	2.19	108	1.79	4,256	41.30
कुल	**2,467**	**23.15**	**1,494**	**14.17**	**187**	**2.19**	**108**	**1.79**	**4,256**	**41.30**

लेखापरीक्षा ने जूनियर तथा सब-जूनियर श्रेणियों के अंतर्गत 4,256 मामलों (2004-05 से 2015-16) में से 480[42] मामलों की संवीक्षा की, जिन्हें आठ चयनित जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा अयोग्य खिलाड़ियों के दावों के अभिलेखों की जांच हेतु प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ चयनित जिला खेल और युवा मामले कार्यालय में से, जिला खेल और युवा मामले कार्यालय, कुरुक्षेत्र और झज्जर ने (अगस्त 2021 और दिसंबर 2021) 269 अयोग्य व्यक्तियों से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था, जिन्हें विभाग ने फरवरी 2016 में कार्यालय भवन में बाढ़ और आग की घटना याचिका पर 2004-05 से 2015-16 के दौरान नकद पुरस्कार का भुगतान किया था। आगे, यह पाया गया कि शेष 211 मामलों में से, शेष छः चयनित जिलों में लेखापरीक्षा को केवल 90 आवेदन प्रपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किए गए थे कि बाढ़ के पानी, दीमक और छत के रिसाव के कारण अभिलेख नष्ट हो गए थे।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए 90 आवेदन प्रपत्रों में से, 22 मामलों को दो[43] जिला खेल और युवा मामले कार्यालय द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था और तीन[44] जिला खेल और युवा मामले कार्यालय से संबंधित 15 मामलों में स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आवेदन-पत्र प्रमाणित नहीं किए गए थे। आगे, यह अवलोकित किया गया कि नौ[45] मामलों में, स्कूल के संबंधित प्रधानाचार्य ने दावेदार की फोटो को सत्यापित नहीं किया और एक मामले में दावेदार के हस्ताक्षर गायब

41 (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) झज्जर, (iv) जींद, (v) कैथल, (vi) कुरुक्षेत्र, (vii) सोनीपत, और (viii) रोहतक।

42 480 मामले = (i) भिवानी: 33, (ii) हिसार: 36, (iii) झज्जर: 32, (iv) जींद: 48, (v) कैथल: 22, (vi) कुरुक्षेत्र: 237, (vii) सोनीपत: 36, और (viii) रोहतक: 36.

43 जींद: 19 और रोहतक: 3.

44 भिवानीः 1, कैथलः 3 और जींदः 11.

45 भिवानीः 2, कैथलः 1, जींदः 3, रोहतकः 2 और सोनीपतः 1.

थे (जिला खेल और युवा मामले कार्यालय, जींद)। अतः लेखापरीक्षा में दावों की प्रामाणिकता का निर्धारण नहीं किया जा सका।

जिला खेल और युवा मामले कार्यालयों ने खेल और फिटनेस नीति में अधिसूचित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत दावेदार की देयता की पुष्टि किए बिना खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की और उन्हें अग्रेषित किया। आगे, निदेशालय स्तर पर गठित समिति ने नकद पुरस्कारों के वितरण के लिए अयोग्य खिलाड़ी की योग्यता तथा पात्रता को प्रमाणित किया। निदेशालय स्तर, हरियाणा सरकार की सिफारिशों के आधार पर, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने 2004-05 से 2015-16 की अवधि के दौरान अयोग्य खिलाड़ियों को संवितरण के लिए नकद पुरस्कार स्वीकृत किए।

इसलिए, वर्ष 2016-17 से पहले हरियाणा खेल और शारीरिक फिटनेस नीतियों के अनुसार जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों के लिए नकद पुरस्कार देय नहीं थे। विभाग ने उस अवधि के दौरान अयोग्य व्यक्तियों को ₹ 41.30 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

उत्तर में, अपर मुख्य सचिव, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2022) और बताया कि विभाग ने 2004-05 की अवधि के लिए विभिन्न खेल नीतियों में उल्लिखित संबंधित प्रतियोगिताओं के लिए जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों के टूर्नामेंट के लिए नकद पुरस्कार का भुगतान किया। 2015-16 तक हालांकि इन नीतियों में जूनियर और सब-जूनियर टूर्नामेंट का उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि, यह स्थिति उत्पन्न हुई क्योंकि नीति मौन थी कि जूनियर और सब-जूनियर टूर्नामेंट के लिए नकद पुरस्कार नहीं दिया जाना था। इस तथ्य/विसंगति को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने 15 जून 2018 को जूनियर/सब-जूनियर/युवा वर्ग के एथलीटों को नकद पुरस्कार देने की नीति बनाने का आदेश दिया। आगे, यह भी बताया गया था कि प्रपत्रों को प्रमाणित करने में पाई गईं अनियमितताओं के संबंध में टिप्पणियों का उत्तर मामले की जांच करने के बाद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2022)।

सिफारिश: राज्य सरकार को राजकीय खेल नीति के उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान किया गया।

तकनीकी शिक्षा विभाग

5.12 कैरियर उन्नति योजना के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अस्वीकार्य भुगतान - ₹ 14.75 करोड़

विपथित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली को अपनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के उल्लंघन में कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत फैकल्टी सदस्यों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप ₹ 14.75 करोड़ के वेतन एवं भत्तों का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग ने जुलाई 1998 से सरकारी वित्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन के लिए कैरियर उन्नति योजना शुरू की (जनवरी 2004)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और अन्य सेवा शर्तों पर विनियमन (जून 2010), कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। समय-समय पर (जून 2013 और जुलाई 2016 के मध्य) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में संशोधन किया गया। इन विनियमों का अनुच्छेद 6.0.2 (जून 2013 में संशोधित) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए पारदर्शी रूप से पालन किए जाने के लिए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली, स्कोरिंग सिस्टम प्रोफार्मा को शामिल करने और साथ ही निर्धारित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों का कड़ाई से पालन करने का प्रावधान करता है। विनियमों ने विश्वविद्यालयों को संबंधित संस्थान (संस्थानों) के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के मामले में न्यूनतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक आवश्यकता को बदले बिना वेटेज को समायोजित करने की अनुमति दी। कैरियर उन्नति योजना प्रोन्नति में शैक्षणिक निष्पादन संकेतक के लिए प्रस्तावित अंक को तीन[46] श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। शैक्षिक क्षेत्रों में पिछले निष्पादन के आधार पर शिक्षकों की योग्यता और साख का आकलन करने के लिए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंड निर्धारित किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह मूल्यांकन किया गया था कि गतिविधियों को विस्तृत रूप दिया जाना था तथा श्रेणी के अंदर शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों के लिए वेटेज के समायोजन की अनुमति दी गई थी अर्थात् श्रेणी के अंदर शैक्षणिक निष्पादन संकेतक के अधिकतम तथा न्यूनतम अंक को बदला नहीं जा सकता था और नए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों को जोड़ा नहीं जा सकता था और मौजूदा शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों को नए मानदंडों से बदला नहीं जा सका था।

यह परिकल्पित था कि इन निर्धारित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों से योग्य उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और योगदान के आधार पर बढ़ावा देकर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

---

[46] श्रेणी-I: शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन संबंधी गतिविधियां: श्रेणी-II: सह-पाठ्यक्रम, विस्तार और व्यावसायिक विकास संबंधी गतिविधियां: श्रेणी-III: अनुसंधान और शैक्षणिक योगदान।

हरियाणा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग ने जून 2010 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों को अपनाने का निर्णय लिया (जुलाई 2011) और कैरियर उन्नति योजना विनियमों पर आदेश जारी किए जो अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे। इन विनियमों के पैरा 9.3 में प्रावधान है कि शिक्षक कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए नियत तारीख से तीन माह पहले आवेदन करे। कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन समिति की बैठकें आयोजित करने में देरी से बचने के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेज को आवेदन की तारीख से छः माह के अंदर चयन की प्रक्रिया को पूरा करना था। आगे, इन विनियमों के अनुच्छेद 9.4 में बताया गया है कि शैक्षणिक निष्पादन संकेतक स्कोरिंग सिस्टम के अंतर्गत न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को केवल एक वर्ष[47] की न्यूनतम अवधि के बाद ही पुनर्मूल्यांकन करना होगा। हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी उच्च शिक्षा विभाग के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों को अपनाने का निर्णय लिया (फरवरी और मार्च 2012)।

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल, सोनीपत (जुलाई-अगस्त 2021) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार (सितंबर-अक्तूबर 2021) के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए एक प्रोफार्मा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया (जुलाई 2012)। कार्यकारी परिषद ने अपनी 17वीं बैठक में कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए तैयार किए गए प्रोफार्मा को मंजूरी दी (सितंबर 2012) लेकिन सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय (दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) ने इस मामले को पुन: तकनीकी शिक्षा विभाग के पास अनुमोदन के लिए भेजा (फरवरी 2015) लेकिन सरकार द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया (अप्रैल 2015) जिसने इसके बजाय निर्देश दिया (अप्रैल 2015) कि प्रोफार्मा को संशोधित करके प्रदान किया गया कैरियर उन्नति योजना लाभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का उल्लंघन था और इस प्रकार इसे वापस लिया जाना चाहिए और चूक के लिए उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए। आगे, सरकार ने राज्य के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों को संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों को लागू करने के निर्देश दिए (अप्रैल 2015)।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2015 में शैक्षणिक निष्पादन संकेतक प्रोफार्मा पर आपत्ति किए जाने के बाद, कार्यकारी परिषद ने अपनी 25 वीं कार्यकारी परिषद बैठक (मार्च

[47] इसका अर्थ यह है कि यदि शिक्षक को निर्धारित तिथि के विरुद्ध अयोग्य के रूप में मूल्यांकन किया गया था, यदि उसका आवेदन निर्धारित तिथि से एक वर्ष पूरा होने से पहले प्राप्त होता है, तो उसके मामले पर पिछली निर्धारित तिथि से एक वर्ष के बाद ही विचार किया जाएगा जब वह अयोग्य पाया गया। यह भी निर्धारित किया जाता है कि यदि वह उस तिथि से एक वर्ष के बाद देय तिथि के विरुद्ध आवेदन करता है तो वह उस तिथि के लिए पात्र होगा।

2016) में शैक्षणिक निष्पादन संकेतक के अंक के मूल्यांकन के लिए अधिसूचित मानदंडों को अपनाने का निर्णय लिया जो 2 मार्च 2016 से लागू होंगे। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इन मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है। आगे यह देखा गया था कि कुलपति, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इनपुट लेने के बाद नया प्रोफार्मा तैयार किया, जिसका उपयोग कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए किया गया था और फिर से सरकार से नए तैयार किए गए प्रोफार्मा को मंजूरी देने का अनुरोध किया था (नवंबर 2015 और फरवरी 2016)। तथापि, सरकार द्वारा इस पर सहमति प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर नहीं की गई थी।

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय की गठित समिति द्वारा तैयार किए गए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रोफार्मा को मंजूरी दी (मार्च 2012)।

यह अवलोकित किया गया था कि निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग ने कैरियर उन्नति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं पर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ अपनी चिंता साझा की (17 मार्च 2022) जिसमें विभाग ने बताया कि गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार ने अपनी कार्यकारी परिषद की 71वीं बैठक (दिसंबर 2015) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जून 2013 के संशोधित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर विचार किया। उसके बाद विश्वविद्यालय ने श्रेणी-III में अतिरिक्त गतिविधियों को हटाकर प्रोफार्मा को सही किया लेकिन श्रेणी-I और श्रेणी-II को अपरिवर्तित रखा। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने संशोधित प्रोफार्मा के अनुमोदन के लिए सरकार से संपर्क नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दोनों विश्वविद्यालयों ने निर्धारित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंड अंक के अंतर्गत वेटेज को समायोजित करने के बजाय उस श्रेणी के लिए परिभाषित अधिकतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक को परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप श्रेणी-I एवं श्रेणी-II में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों में निर्धारित अधिकतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक में विपथन हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** में वर्णित है। आगे, दोनों विश्वविद्यालयों ने श्रेणी-III के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मापदंडों की तुलना में अतिरिक्त अंक भी दिए। इन विश्वविद्यालयों द्वारा श्रेणी-III में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों में निर्धारित के अलावा नए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मापदंडों को अपनाया गया था और मौजूदा शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मापदंडों को भी श्रेणी-III **(परिशिष्ट 5.4)** में संशोधित किया गया था।

श्रेणी-I एवं श्रेणी-II में अधिकतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक में विपथन और श्रेणी-III में नए और संशोधित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों को अपनाने से फैकल्टी सदस्यों के

मूल्यांकन के लिए निर्धारित निष्पादन मानदंडों में कमी आई है। इस कमी का मूल्यांकन उस उम्मीदवार के जोखिम को वहन करने के लिए किया जाता है जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किए बिना कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति पाने के लिए सक्षम होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक प्राप्त करने में विफल रहा होगा। शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता के उचित मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने में प्रोत्साहन के रूप में कैरियर उन्नति योजना का उपयोग करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और तकनीकी शिक्षा विभाग के उद्देश्यों का मूल्यांकन दर्शाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा जानबूझकर समझौता किया गया है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति मामलों के लिए स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की बैठकें आयोजित करने में देरी हुई थी। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू करने में विश्वविद्यालयों की ओर से देरी के कारण पदोन्नति के 78[48] मामलों को दो माह से 37 माह के मध्य, छः माह के निर्धारित समय से अधिक देरी से कार्रवाई की गई। तीन मामलों में, विलंब 32 से 37 माह के मध्य था। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चार वर्ष के अंतराल के साथ 2013 के बाद वर्ष 2017 में स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में समिति ने एक वर्ष की न्यूनतम अनिवार्य अवधि के बाद अयोग्य उम्मीदवारों की पात्रता का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया था। चार मामलों में, कम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक के कारण वर्ष 2013 में आयोजित स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की बैठक में अयोग्यता के बाद, विश्वविद्यालय ने केवल वर्ष 2017 में पात्रता शर्तों पर पुनर्विचार किया और चार वर्षों की मध्य अवधि में पात्रता का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया, इस प्रकार पात्र उम्मीदवारों को समय पर इस योजना के अंतर्गत इच्छित लाभ से वंचित किया गया। इसके अतिरिक्त एक मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि पदोन्नति के लिए पात्रता वर्ष 2009 से थी, तथापि, वर्ष 2013 में विपथित प्रोफार्मा के आधार पर अयोग्यता के कारण, इस उम्मीदवार का वर्ष 2017 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था जिससे परस्पर वरिष्ठता में प्रभाव पड़ा।

इसके आगे, सितंबर 2009 से जून 2020 की अवधि के मध्य, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 234 फैकल्टी सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अनियमित रूप से संशोधित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रोफार्मा के आधार पर कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नत किया गया था, जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कैरियर उन्नति योजना की भूमिका के उद्देश्यों से समझौता हुआ और साथ ही सितंबर 2009 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान ₹ 14.75 करोड़ के वेतन एवं भत्तों का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

---

[48] उन मामलों की संख्या जिनमें विलंब एक से छः महीने तक था: 40, उन मामलों की संख्या जिनमें विलंब छः से 15 महीने तक था: 14 और उन मामलों की संख्या जिनमें विलंब 15 महीने से 37 महीने तक था: 24.

महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए नए तैयार किए गए प्रोफार्मा के अनुमोदन के लिए दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अनुरोध के संबंध में सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग ने सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों से उनके अप्रैल 2015 के आदेश के अनुपालन की मांग के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग (अप्रैल 2022) के अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि कैरियर उन्नति योजना लाभों को वापस लेने के संबंध में सरकारी निर्देशों (अप्रैल 2015) के उत्तर में, 16 फैकल्टी सदस्यों ने 2015 की सिविल रिट याचिका संख्या 11921 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में उन निर्देश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश (मई 2015) में स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं को प्रत्यावर्तित किया जाना है तो उसे सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रखा जा सकता है। मामला अभी भी विचाराधीन है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 234 फैकल्टी सदस्यों में से 117[49] संकाय सदस्यों को अप्रैल 2015 में सरकारी आदेशों के बाद लाभ प्रदान किया गया था।

आगे, लेखापरीक्षा (मई 2022) में प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, 2015 के सिविल रिट याचिका संख्या 11921 में मई 2015 में सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की गई थी। न्यायालय ने विशेष रूप से अप्रैल 2016 तक अंतरिम राहत को बढ़ा दिया और आगे अगस्त 2016 तक बढ़ा दिया, किंतु उसके बाद न्यायालय ने अपने सभी अनुवर्ती आदेशों में अप्रैल 2022 अर्थात् सुनवाई की अंतिम तिथि तक विशिष्ट अंतरिम राहत प्रदान नहीं की गई। कानूनी राय ने एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एआईआर 2018 एससी 2039 के मामले में अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर भी प्रकाश डाला तथा माना कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कोई भी अंतरिम राहत ऐसे आदेश की तारीख से छः माह की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएगी या जब तक असाधारण मामलों में मौखिक आदेश से रोक नहीं दी जाती है। इस प्रकार 16 संकाय सदस्यों के संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग की संस्थाओं के कारण अनियमित ठहराए गए लाभों को वापस लेने पर कोई रोक नहीं है।

रजिस्ट्रार, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के साथ बैठक के दौरान (जून 2022), रजिस्ट्रार, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार ने बताया कि शैक्षणिक निष्पादन संकेतक प्रोफार्मा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा श्रेणी-I एवं श्रेणी-II प्रोफार्मा के अंतर्गत गतिविधियों के विभाजन की अनुमति दी गई थी। तथापि, उस गतिविधि के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अंक से अधिक गतिविधियों को दिए गए अंकों के संबंध में अवलोकन पर समीक्षा के लिए विचार किया जाएगा और यदि अपेक्षित हो, तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफार्मा की जांच की जाएगी। श्रेणी-III प्रोफार्मा के अंतर्गत दिए गए

[49] 117 संकाय सदस्य = दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 23 सदस्य + गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 94 सदस्य।

अतिरिक्त मानदंडों और अतिरिक्त अंकों को शामिल करने पर भी चर्चा की गई और रजिस्ट्रार ने आवश्यकता पड़ने पर सुधार के लिए इनकी जांच कराने का आश्वासन दिया।

रजिस्ट्रार, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार ने उत्तर दिया (अगस्त 2022) कि श्रेणी I एवं II में, आनुपातिक अंक उप-गतिविधियों में प्राप्त अंकों के अनुपात के रूप में विश्वविद्यालय में गतिविधि स्तर या पैरामीटर स्तर पर सभी उप-गतिविधियों के अधिकतम अंकों के अनुपात के रूप में प्राप्त किए जा रहे हैं और अब से इसका पालन किया जाएगा। श्रेणी III में, अब से यूसीजी दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम स्कोर का पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करने के पश्चात भविष्य के प्रयोजन के लिए प्रपत्र में संशोधन एवं सुधार किया और तकनीकी शिक्षा विभाग को तथ्य प्रस्तुत किए तथा आगे लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022 में कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत शिक्षकों की पदोन्नति की उपयुक्तता की कड़ाई से जांच करने के लिए एक समिति गठित की और कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत सभी पदोन्नतियां सही पाई गई। लेखापरीक्षा का मत है कि इस प्रोफार्मा का अनुमोदन अभी भी सरकार के पास लंबित है। आगे, श्रेणी I, II एवं III के अंतर्गत आनुपातिक रूप से अंकों को घटाने का निर्धारण उत्तर के आधार पर लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

सिफारिश: पात्रता के लिए सरकार के निर्णय के अनुसार उपयुक्तता हेतु सभी मामलों की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, राज्य सरकार को संबंधित व्यक्तियों/अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर भी विचार करना चाहिए, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और सरकारी निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत फैकल्टी सदस्यों की अनियमित पदोन्नति को समर्थन प्रदान किया।

वित्त विभाग

5.13 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के भुगतान में अनियमितताएं

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के कारण राज्य की संचित निधि में से ₹ 9.56 करोड़ का अधिक/अनियमित भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ खजाना एवं लेखा विभाग की ओर से कमियों को दर्शाता है।

हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 (एचसीएस पेंशन नियम) "पेंशन" को भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन उसके द्वारा प्रदान की गई अर्हक सेवा के बदले सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी को किए गए आवर्ती अथवा गैर-आवर्ती भुगतान के रूप में परिभाषित करता है। पेंशन का मूल्यांकन, स्वीकृति, प्राधिकृत करने तथा संवितरण की पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन सेवा प्रदाता अर्थात् पेंशन संस्वीकृति प्राधिकरण (पीएसए), पेंशन प्राधिकरण प्राधिकारी (पीएए) और पेंशन संवितरण प्राधिकरण (पीडीए) शामिल हैं। एक बार पेंशन संस्वीकृति प्राधिकरण से पेंशन के कागजात प्राप्त हो जाने के बाद, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा अर्थात् पेंशन प्राधिकरण प्राधिकारी को अपेक्षित जांच लागू करने तथा पेंशन की राशि का आकलन करने और अन्यों के साथ खजाना अधिकारी (जो पेंशन संवितरण प्राधिकारी है) जिनके अधिकार क्षेत्र

में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाना है, को पेंशन भुगतान आदेश या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश जारी करना अपेक्षित होता है।

संबंधित पेंशनर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत तथा हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन के संवितरण हेतु चुने गए किसी भी एजेंसी बैंक द्वारा पेंशन प्राप्त करने का चयन कर सकते हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक सम्मिलित है तथा हरियाणा राज्य सरकार के बड़ी संख्या में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर भारतीय स्टेट बैंक के साथ परिचालनगत खातों के रूप में जुड़े हुए हैं।

सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत पेंशन पर राहत सहित मासिक पेंशन की राशि का भुगतान केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र द्वारा भुगतान करने वाली शाखा में पहले से खोले गए पेंशनर के बैंक खाते में जमा करके किया जाता है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र पेंशन की गणना तथा महंगाई राहत (डीआर), चिकित्सा भत्ता, पेंशन में संशोधन और पेंशन के बकाया की गणना आदि में परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है।

भारतीय स्टेट बैंक का पंचकुला में एक ऐसा केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र है, जो भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं से पेंशन लेने वाले हरियाणा सरकार के पेंशनरों के पेंशन भुगतान के बड़े हिस्से को संभालता है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र, भारतीय स्टेट बैंक, पंचकुला की लेखापरीक्षा की गई (जून 2021 से सितंबर 2021)। लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित टिप्पणियां देखी गईं:

क. बोर्डों/निगमों तथा अन्य राज्यों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का अनियमित भुगतान

(i) केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र, पंचकुला की आंतरिक व्यवस्था के अनुसार, पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और राज्य सरकार/केंद्र सरकार/बोर्ड/केंद्र या राज्य सरकार के निगमों के प्रत्येक पेंशनर को अलग ग्रुप-आईडी आबंटित किए जाते हैं। इसके अलावा, ग्रुप-आईडी के अंतर्गत उप-श्रेणी उन बोर्डों/निगमों को निर्दिष्ट करती है जिनसे वह श्रेणी संबंधित है।

36 मामलों में यह पाया गया कि हरियाणा राज्य के बोर्डों/निगमों तथा केंद्र सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की श्रेणियों (ग्रुप-आईडी) को गलत तरीके से हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनरों के रूप में दर्शाया गया था।

चूंकि ये पेंशनर हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, इसलिए वे हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के मानदंड के अंतर्गत नहीं आते थे और इस प्रकार, हरियाणा की संचित निधि से उनका पेंशन आहरण अनियमित था। इस प्रकार, हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनरों के रूप में इन पेंशनरों के गलत वर्गीकरण के कारण अगस्त 1983 से अप्रैल 2021 की अवधि के दौरान पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में ₹ 5.70 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र (भारतीय स्टेट बैंक) ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी 36 पेंशन खातों की श्रेणियों में सुधार किया गया है और इसमें शामिल राशि का संबंधित निगम/बोर्डों से

दावा किया गया है और उनकी फोकल प्वाइंट शाखाओं के माध्यम से संबंधित खजानों में जमा किया गया है।

(ii) साथ ही, 12 मामलों में, यह अवलोकित किया गया कि हरियाणा राज्य सरकार के अलावा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पेंशनरों को हरियाणा सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की श्रेणी के अंतर्गत गलत तरीके से दर्शाया गया था। इस प्रकार, इन 12 पेंशनरों को हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनरों के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण अगस्त 1981 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में ₹ 2.36 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र (भारतीय स्टेट बैंक) ने सूचित किया (मई 2022) कि 10 पेंशन खातों की श्रेणियों में सुधार किया गया है और संशोधित स्क्रॉल संबंधित फोकल प्वाइंट शाखाओं के संबंधित खजानों में जमा करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

ख. पारिवारिक पेंशनरों को निर्धारित अवधि के बाद बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का भुगतान

बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन परिवार के पात्र सदस्य (सदस्यों) को देय है:

(क) मृतक या लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य को पेंशन के लिए अंतिम परिलब्धियों के पचास प्रतिशत के बराबर दस वर्ष तक, जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है या लापता हो जाता है; अथवा

(ख) सात वर्ष तक या मृतक पेंशनर की पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक, यदि वह जीवित होता, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के समय देय पेंशन के बराबर हो; अथवा

(ग) सात वर्ष तक या लापता पेंशनर के पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक, जो भी पहले हो, लापता होने के समय देय पेंशन के बराबर;

यह पाया गया कि 18 मामलों में बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित अवधि से अधिक वितरित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप नवंबर 2010 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान पारिवारिक पेंशनरों को ₹ 84.14 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र (भारतीय स्टेट बैंक) ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी मामलों में मूल पेंशन में सुधार किया गया है। ₹ 14.05 लाख की राशि की वसूली की गई है और शेष राशि की एकमुश्त वसूली के लिए पेंशनरों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। इसी बीच, पेंशन खातों में प्रति माह पेंशन राशि की एक तिहाई राशि की वसूली शुरू कर दी गई है।

ग. पेंशनरों के पात्र पुत्र/पुत्री को निर्धारित आयु से अधिक पारिवारिक पेंशन का भुगतान

10 मामलों में यह पाया गया कि पात्र पुत्र/पुत्री को उनकी 25 वर्ष की निर्धारित आयु से अधिक

पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2009 से जुलाई 2021 की अवधि के दौरान पेंशनरों के पात्र पुत्र/पुत्री को ₹ 66.47 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र (भारतीय स्टेट बैंक) ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी 10 मामलों में पेंशन पहले ही बंद हो चुकी है। आगे, ₹ 0.25 लाख की राशि की वसूली की गई है और शेष राशि की वसूली के लिए पेंशनरों और संबंधित पेंशन भुगतान करने वाली शाखा के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

वित्त विभाग के साथ एक्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई (जून 2022) जहां केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

वित्त विभाग ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र के कामकाज और निगरानी के संबंध में रोडमैप तैयार करने और बैंकों के साथ करार सहित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया। यह भी आश्वासन दिया गया कि सभी राज्य पेंशनरों के डेटाबेस के रूप में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पेंशन मामलों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर दो बैंकों {पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक} को जोड़ने के लिए चल रहे प्रयासों में तेजी लाई जाएगी।

हरियाणा की संचित निधि से ₹ 9.56 करोड़ का अधिक/अनियमित भुगतान, जो अगस्त 1981 से अगस्त 2021 तक जारी है, एजेंसी बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक तथा खजाना और लेखा विभाग के अंतर्गत कार्यरत खजाना अधिकारियों दोनों की ओर से कमियों को दर्शाता है और संप्रेषित उपचारी उपाय लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए अधिक भुगतान की आंशिक वसूली को दर्शाते हैं किंतु आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत/सुधार करने के उपायों को नहीं दर्शाते हैं जो संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया के साथ-साथ चयनित और लेखापरीक्षित नमूने में शामिल नहीं किए गए अन्य भुगतानों को शामिल करेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

5.14 भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के कम दावे तथा दावों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण हानि

भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के कम दावे के कारण ₹ 1.20 करोड़ की हानि तथा केंद्रीय सहायता के विलंबित दावों के कारण ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार को सहायता) नियम, 2015 को अधिसूचित किया था (अगस्त 2015)। खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार को सहायता) नियम, 2015 के नियम 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसके द्वारा राज्य के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही, हैंडलिंग तथा उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को भुगतान किए गए मार्जिन, हकदार व्यक्तियों और परिवारों के लिए आबंटित खाद्यान्न के वितरण पर होने वाले व्यय को पूरा करने में सहायता करेगी।

आगे, नियम 7(1) के अनुसार केंद्रीय सहायता (सीए) के मानदंड (₹ प्रति क्विंटल में) राज्य के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही तथा हैंडलिंग प्रभारों के लिए ₹ 65 प्रति क्विंटल की दर से,

उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को ₹ 70 प्रति क्विंटल की दर से मूल मार्जिन तथा उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को बिक्री के लिए प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस के माध्यम से राज्य सरकार को ₹ 17 प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त मार्जिन और केंद्र सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत होगा।

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग, हरियाणा के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2021), यह अवलोकित किया गया (जुलाई 2021) कि भारत सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के अंतर्गत राज्य के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही तथा हैंडलिंग प्रभारों के भुगतान के दावों (₹ 35.56[50] करोड़), उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के मार्जिन आधार पर (₹ 38.30[51] करोड़) और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के अतिरिक्त मार्जिन (₹ 8.20[52] करोड़) के विरूद्ध ₹ 82.06[53] करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की (अप्रैल 2021)।

(i) कम दावा की गई ₹ 1.20 करोड़ की केंद्रीय सहायता

भारत सरकार को प्रस्तुत दावों की संवीक्षा के दौरान, यह अवलोकित गया कि ई-पीडीएस पोर्टल के अनुसार अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान ई-पीओएस मशीन के माध्यम से 64.48 लाख क्विंटल खाद्यान्न वितरित किया गया, जबकि विभाग ने 62.90 लाख क्विंटल खाद्यान्न का दावा प्रस्तुत किया, जो कि वर्ष 2018-19 के लिए 1.58 लाख क्विंटल कम था। अतः विक्रय बिंदुओं/उचित मूल्य की दुकानों के डाटा को अद्यतन न करने के कारण विभाग ने 1.58 लाख क्विंटल खाद्यान्न के लिए ₹ 1.20 करोड़ की कम केंद्रीय सहायता का दावा किया था ***(परिशिष्ट 5.5)***।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (नवंबर 2021) कि पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण डाटा अद्यतित नहीं किया गया था तथा उस समय पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार दावा प्रस्तुत किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2022), विभाग ने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए कम मात्रा के संशोधित दावे भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए थे जो अभी भी प्रतीक्षित हैं।

(ii) केंद्रीय सहायता के दावों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि

यह अवलोकित किया गया कि विभाग द्वारा 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए ₹ 135.42 करोड़ की केंद्रीय सहायता के दावों को चार से 11 माह की देरी के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण **तालिका 5.14.1** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

---

50 ₹ 35.56 करोड़ = 2017-18: ₹ 17.62 करोड़ + 2018-19: ₹ 17.94 करोड़।

51 ₹ 38.30 करोड़ = 2017-18: ₹ 18.97 करोड़ + 2018-19: ₹ 19.33 करोड़।

52 ₹ 8.20 करोड़ = 2018-19: ₹ 3.91 करोड़ + 2019-20: ₹ 4.29 करोड़।

53 ₹ 82.06 करोड़ = 2017-18: ₹ 36.59 करोड़ + 2018-19: ₹ 41.18 करोड़ + 2019-20: ₹ 4.29 करोड़।

तालिका 5.14.1: विभाग द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय सहायता के दावों का विवरण

वर्ष	दावे की राशि (₹ करोड़ में)	माह जिसमें दावा प्रस्तुत किया जा सकता है	माह जिसमें दावा वास्तव में प्रस्तुत किया गया	दावे प्रस्तुत करने में विलंब (माह में)	राज्य उधारियों की ब्याज दर	ब्याज की हानि (₹ करोड़ में)
2017-18	41.34	अप्रैल 2018	अप्रैल 2019	11	8.10	3.07
2018-19	42.45	अप्रैल 2019	सितंबर 2019	4	8.81	1.25
2019-20	5.77	अप्रैल 2020	अगस्त 2020	3	8.31	0.12
	45.86	अप्रैल 2020	फ़रवरी 2021	9	8.31	2.86
कुल	**135.42**					**7.30**

नोट: पॉलिसी में अग्रिम दावे का प्रावधान था। तथापि, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद, विभाग को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए अतिशीघ्र दावा करना होगा। इसलिए, विलंब की अवधि की गणना एक माह के अंतराल के बाद की गई थी।

₹ 89.56[54] करोड़ में से ₹ 82.06 करोड़ के दावे 22 अप्रैल 2021 को प्राप्त हुए तथा ₹ 45.86 करोड़ का दावा प्राप्त नहीं हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (नवंबर 2021) कि भारत सरकार ने प्रस्तुत किए गए दावों से कम दावों की स्वीकृति के कारणों को स्पष्ट नहीं किया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (अप्रैल 2022) के दौरान, विभाग ने बताया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए केंद्रीय सहायता के अग्रिम दावे प्रस्तुत किए गए थे, किंतु भारत सरकार ने केंद्रीय सहायता के अग्रिम दावे जारी नहीं किए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पिछले वर्षों के गैर/विलंबित/अनुचित उपयोग प्रमाण-पत्र के कारण अग्रिम दावे जारी नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, केंद्रीय सहायता के कम दावे के कारण, विभाग को केंद्रीय सहायता (2017-18 से 2019-20) के विलंबित दावे के कारण ₹ 1.20 करोड़ की हानि और ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

सिफारिश: विभाग को केंद्रीय सहायता का दावा करने के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले वास्तविक वितरण डेटा के मिलान के लिए उचित तंत्र विकसित करना चाहिए।

वन विभाग

5.15 परिहार्य अतिरिक्त व्यय के साथ राजस्व की हानि

जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निपटान में वन विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ₹ 22.12 करोड़ के राजस्व की हानि हुई और जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की निगरानी पर ₹ 96.14 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

लाल चंदन की लकड़ी की प्रजाति अत्यधिक स्थानिक है और केवल आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है तथा जंगली जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) में सूचीबद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन)

[54] ₹ 89.56 करोड़ = ₹ 41.34 करोड़ + ₹ 42.45 करोड़ + ₹ 5.77 करोड़।

में भी सूचीबद्ध है, इस प्रकार उचित कानूनी खरीद के बिना इसके घरेलू व्यापार और लॉग रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। लाल चंदन की लकड़ी को खराब होने वाली वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है (अप्रैल 2005) और समय बीतने के साथ मूल्यह्रास के अधीन है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 58 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट धारा 52 डी के अंतर्गत जब्त की गई किसी भी संपत्ति की बिक्री का निर्देश दे सकता है, जो तेजी से प्राकृतिक क्षय के अधीन है और उससे प्राप्त आय का उपयोग उस प्रकार करता है जैसा कि वह ऐसी संपत्ति का निपटान करते समय करता यदि इसे बेचा न गया होता।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निर्देश दिया (अगस्त 2014) कि जब्त की गई लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों को संबंधित राज्य वन विभाग के माध्यम से खुली नीलामी/मुहरबंद निविदा के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीओएफ), हरियाणा, पंचकुला (जून-जुलाई 2021) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 13 मामलों[55] में ₹ 22.12 करोड़ **(परिशिष्ट 5.6)** मूल्य की 175.68 टन जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी को हरियाणा वन विकास निगम, गुरुग्राम, मंडल वन अधिकारी (डीएफओ) गुरुग्राम, रेवाड़ी और सोनीपत को विशेष पर्यावरण न्यायालय (स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति), फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र द्वारा (सितंबर 2014 और मई 2016 के मध्य) सौंप दिया गया था। आगे, यह पाया गया कि वन विभाग ने 2015-16 से 2021-22 **(परिशिष्ट 5.7)** की अवधि के दौरान लाल चंदन की लकड़ी की निगरानी और वार्ड भंडारण पर ₹ 96.14 लाख का व्यय किया था।

पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद के निर्देश पर, एचएफडीसी ने एक नीलामी की और 2013 में केवल ₹ 25.47 लाख मूल्य की लाल चंदन की लकड़ी को बेच सका। इसके बाद एचएफडीसी ने न्यायालय से मूल्य वर्धित उत्पादों (वीएपी) के निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। हरियाणा वन विकास निगम, गुरुग्राम ने, स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन की स्वीकृति के बाद जब्त की गई 30.49 टन लाल चंदन की लकड़ी से मूल्य वर्धित उत्पादों (वीएपी) का उत्पादन शुरू किया (अप्रैल 2016)। स्थानीय बाजार में मांग की कमी के कारण, हरियाणा वन विकास निगम ने निर्यात (मांग के आधार पर) के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रस्ताव शुरू किया (फरवरी 2017)। वन एवं वन्य जीवन विभाग, हरियाणा सरकार ने मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए इसका उपयोग करने के लिए जुलाई 2017 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी (अप्रैल 2017)।

हरियाणा वन विकास निगम केवल एक टन लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग करने में सक्षम था और उपर्युक्त निर्णय के 14 माह बाद भी शेष स्टॉक (सितंबर 2018) का उपयोग करने में असमर्थता व्यक्त की। आगे, हरियाणा वन विकास निगम की सिफारिशों के आधार पर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा ने जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार, वन

[55] प्रभागीय वन अधिकारी, गुरुग्राम: छः मामले, 45.730 टन; प्रभागीय वन अधिकारी, गुरुग्राम : चार मामले, 76.894 टन; प्रभागीय वन अधिकारी, रेवाड़ीः एक केस, 46.51 टन और प्रभागीय वन अधिकारी सोनीपतः दो केस, 6.545 टन

विभाग को 60:40 अनुपात में आंध्र प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के मध्य बिक्री आय को साझा करने की पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर हस्तांतरित करने के लिए हरियाणा सरकार से अनुमति मांगी (अक्तूबर 2018)। जनवरी 2019 में हरियाणा सरकार द्वारा अनुमति दी गई तथा प्रस्ताव जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार के पास भेजा गया था। तथापि, वन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा वन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया था। आगे, यह पाया गया कि मार्च 2019 में हरियाणा वन विकास निगम के पास पड़ा हुआ ₹ 43.23 लाख[56] मूल्य का 3.603 टन लाल चंदन की लकड़ी चोरी हो गयी थी। तथापि, बीमा कंपनी ने पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को बंद न करने और जबरन चोरी का कोई सबूत नहीं मिलने पर दावा स्वीकार नहीं किया (मार्च 2020)।

वन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की किसी भी बिक्री से प्राप्त आय को हरियाणा सरकार के साथ साझा करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया (जनवरी 2020)। आगे, हरियाणा सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार की इस शर्त को अस्वीकार कर दिया गया था (अगस्त 2020)।

पांच वर्ष के विलंब के बाद, वन विभाग, हरियाणा सरकार ने जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निपटान के लिए अन्य राज्यों में सांविधिक प्रावधानों और नीलामी दरों की जांच के लिए समिति[57] का गठन किया (मार्च 2021)। समिति ने सिफारिश की कि राज्य सरकार को स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति से अनुमति लेने की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निपटान के लिए नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए (जून 2021)। तथापि, विभाग का यह विलंबित प्रयास राज्य के राजकोष को राजस्व की हानि की भरपाई नहीं कर सका।

अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वानिकी), हरियाणा, पंचकुला ने उत्तर दिया (मई 2022) कि प्रभागीय वन अधिकारी, गुरुग्राम, रेवाड़ी और सोनीपत ने लाल चंदन की लकड़ी की नीलामी की अनुमति लेने के लिए संबंधित पर्यावरण न्यायालयों के समक्ष आवेदन दायर किया था। गुरुग्राम, रेवाड़ी और सोनीपत मामले में सुनवाई की अगली तारीख क्रमश: 17 मई 2022, 11 जुलाई 2022 और 24 मई 2022 है। जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की नीलामी के संबंध में निर्णय स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति के निर्देशानुसार लिया जाएगा।

आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चार मामलों में, विभाग ने संबंधित स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति के समक्ष लाल चंदन की लकड़ी के निपटान की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर नहीं किया था, आठ मामलों में आवेदन 69 और 89 माह के मध्य की देरी से दायर किए गए थे। एक मामले में, स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा लाल चंदन की लकड़ी की नीलामी की अनुमति दी गई थी (अगस्त 2016) किंतु विभाग ने 68 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लाल चंदन की लकड़ी की नीलामी नहीं की थी।

---

[56] ₹ 12 लाख प्रति टन की दर से 3.603 टन (2016 में ग्रेड 'सी' के लिए आंध्र प्रदेश की दरें)

[57] एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों वाली समिति।

वर्ष 2014 से 2016 तक वन विभाग द्वारा ₹ 21.57[58] करोड़ के जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के गैर-निपटान के प्रति विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण 2015-16 से 171.08[59] मीट्रिक टन लाल चंदन लकड़ी का स्टॉक हरियाणा वन विकास निगम और वन विभाग के पास पड़ा हुआ था। विभाग जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निस्तारण हेतु ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की निगरानी पर ₹ 21.57 करोड़ के राजस्व की अवसूली हुई एवं ₹ 96.14 लाख के परिहार्य व्यय हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग द्वारा तथ्य एवं आंकड़ों की पुष्टि की गई (मई 2022)। विभाग ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वानिकी), हरियाणा, पंचकुला के उत्तर को दोहराया। आगे, हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यावरण न्यायालयों से अनुमति प्राप्त करने के बाद जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ियों के निपटान के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मामला उठाया जाए। जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी को निपटान के लिए आंध्र प्रदेश के वन विभाग को सौंपा जा सकता है। इन अव्यवस्थित लाल चंदन की लकड़ी के भंडारण पर निगरानी, बीमा और परिवहन आदि पर होने वाले व्यय की मांग उनसे की जा सकती है। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मई 2022)।

सिफारिश: राज्य सरकार लाल चंदन की लकड़ी के समयबद्ध तरीके से निपटान के लिए स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा तत्काल निर्णय/सुनवाई के लिए कदम उठाने पर विचार करे।

गृह विभाग

5.16 अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों पर अनियमित व्यय

नियमों के उल्लंघन में होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 50 से 58 वर्ष तक बढ़ाने के कमांडेंट जनरल के अनुचित निर्णय के परिणामस्वरूप अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों को ₹ 10.30 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

हरियाणा होमगार्ड अधिनियम, 1974 (अधिनियम) की धारा 11 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। आगे, अधिनियम की धारा 11 (3) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों को उनके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा। अधिसूचना (मई 1980) द्वारा हरियाणा होमगार्ड नियम, 1980 (नियम) के नियम 8 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अभ्यर्थी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और उसकी आयु 50 वर्ष से कम हो। बशर्ते कि

---

[58] ₹ 21.57 करोड़ = जब्त लाल चंदन की लकड़ी की कुल राशि: ₹ 22.12 करोड़ -चोरी और मूल्य वर्धित उत्पाद लाल चंदन की लकड़ी : ₹ 0.55 करोड़।

[59] 171.0757 मीट्रिक टन = कुल जब्ती 175.6787 मीट्रिक टन - चोरी 3.603 मीट्रिक टन - मूल्य वर्धित उत्पाद (बेचा गया) 1 मीट्रिक टन।

उपयुक्त मामलों में कमांडेंट-जनरल द्वारा उपर्युक्त निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। आगे, नियम 29(1) में प्रावधान है कि किसी सदस्य को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवामुक्त किया जाएगा या विस्तारित अवधि में सेवानिवृत्त किया जा सकता है या उसका नियुक्ति प्राधिकारी, शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर उसे पहले ही सेवामुक्त कर सकता है।

कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स और निदेशक सिविल डिफेंस, हरियाणा (कमांडेंट) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (अक्तूबर 2021), यह अवलोकित किया गया कि कमांडेंट-जनरल (सीजी) ने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिया (मार्च 2020) कि आयु सीमा विभाग में भर्ती/नामांकित सभी स्वयं सेवकों की सेवानिवृत्ति के लिए 58 वर्ष निर्धारित है। ये नियमों में संशोधन के रूप में जारी नहीं किए गए थे। इस पर राज्य सरकार की स्वीकृति भी नहीं थी। नियमों के नियम 29 (1) के अंतर्गत कमांडेंट-जनरल की शक्तियां/कार्य व्यक्तिगत उपयुक्त मामलों तक सीमित थे और संबंधित व्यक्ति की उपयुक्तता के आकलन के बिना सभी होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति की तारीख बढ़ाने के लिए नहीं थे। इससे विभाग में कार्यरत 612 होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि हुई, जिन्होंने 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली थी **(परिशिष्ट 5.8)**। विभाग ने ऐसे स्वयंसेवकों को 50 वर्ष की आयु के बाद सेवा से मुक्त नहीं किया। आगे, नियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजा गया था। इस प्रकार, होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के लिए कमांडेंट-जनरल के अनियमित निर्णय के परिणामस्वरूप इन अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों **(परिशिष्ट 5.8)** को अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के मध्य की अवधि के लिए ₹ 10.30 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2021), कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स, हरियाणा ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि हरियाणा होमगार्ड्स नियम, 1980 में संशोधन के संबंध में मामला अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भेज दिया गया है (दिसंबर 2021)। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भेजे गए पत्र में, कमांडेंट-जनरल ने दावा किया था कि राज्य सरकार ने 27 नवंबर 1981 की अधिसूचना के अंतर्गत सदस्य के लिए अधिकतम तीन वर्ष की अवधि की शर्त को हटा दिया था। इसलिए, पात्र सदस्य 58 वर्ष की आयु तक होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर सकता है। आगे, एग्जिट कांफ्रेंस (मार्च 2022) में, कमांडेंट-जनरल ने इसे दोहराया और लेखापरीक्षा द्वारा नियम की व्याख्या का विरोध किया। कमांडेंट-जनरल का तर्क बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि नियम 29 (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सदस्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा या शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर पहले सेवामुक्ति दी जा सकती है। नियम 29 (1) के अंतर्गत कमांडेंट-जनरल उपयुक्त मामलों में आयु सीमा में छूट देने के हकदार हैं, लेकिन होम गार्ड के पूरे समूह के लिए कार्यकारी निर्देश जारी करके सेवानिवृत्ति की आयु को 50 वर्ष से 58 वर्ष तक बदलने का अधिकार नहीं है।

इस प्रकार, कमांडेंट-जनरल ने अनधिकृत रूप से होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष तक बढ़ा दी थी जिसके परिणामस्वरूप 612 अयोग्य स्वयंसेवकों को वेतन के रूप में ₹ 10.30 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

हरियाणा पुलिस आवास निगम

5.17 परिहार्य व्यय

कार्य के आबंटन के 21 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल रहने वाले एल1 के स्वीकृति-पत्र को रद्द करने में देरी के कारण 120 दिनों की निविदा वैधता अवधि समाप्त हो गई। परिणामत:, एल2 को उसकी बोली से बाध्य नहीं किया जा सका जो कि एल1 से थोड़ा अधिक थी और इसके परिणामस्वरूप नई निविदाएं आमंत्रित करने और उच्च दर पर कार्य के आबंटन के कारण ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन (करनाल) में चार महिला बैरक (चार मंजिला) के निर्माण के लिए जून 2018 में ₹ 24.61 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान की। निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस (डीएनआईटी) ₹ 21.13 करोड़ के लिए तैयार किया गया था और निविदाएं 24 अगस्त 2018 को प्रबंध निदेशक, हरियाणा पुलिस आवास निगम (एचपीएचसी) द्वारा 14 सितंबर 2018 को निविदा की अंतिम तिथि के साथ मांग की गई थीं। चार पात्र बोलीदाताओं ने निविदा में भाग लिया था। वित्तीय बोलियां 26 सितंबर 2018 को खोली गईं और यह पाया गया कि मैसर्ज विज कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली द्वारा उद्धृत दरें निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस से 6.20 प्रतिशत कम ₹ 19.82 करोड़ पर सबसे कम थीं। तद्नुसार, मामला 27 सितंबर 2018 को हरियाणा पुलिस आवास निगम की निविदा अनुमोदन समिति को प्रस्तुत किया गया था। निविदा अनुमोदन समिति ने 23 अक्तूबर 2018 को एल1 के पक्ष में निविदा को मंजूरी दी और नियोक्ता अर्थात् अधीक्षण अभियंता (एसई), हरियाणा पुलिस आवास निगम सर्कल, मधुबन को उसे कार्य आबंटित करने के लिए निर्देश दिया। अधीक्षण अभियंता ने 13 नवंबर 2018 को मैसर्ज विज कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को स्वीकृति पत्र जारी किया।

ठेकेदार ₹ 0.99 करोड़ की अपेक्षित पांच प्रतिशत निष्पादन गारंटी जमा करने के लिए कभी नहीं आए, जिसे 4 दिसंबर 2018 (स्वीकृति पत्र जारी होने के 21 दिनों के अंदर) तक जमा किया जाना था। कार्यकारी अभियंता, हरियाणा पुलिस आवास निगम, मधुबन ठेकेदार को कार्य शुरू करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, निष्पादन गारंटी जमा करने के लिए पत्र जारी करते रहे, किंतु ठेकेदार कभी नहीं आए। कार्यकारी अभियंता, हरियाणा पुलिस आवास निगम मधुबन ने 15 मार्च 2019 को कार्य के आबंटन के बाद अर्थात् कार्य आबंटन के 122 दिनों के बाद और निष्पादन गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि से 101 दिनों के बाद कार्य का आबंटन रद्द कर दिया। ₹ 0.42 करोड़ की बयाना राशि जब्त कर ली गई और ठेकेदार को एक वर्ष के लिए निविदा से वंचित कर दिया गया था।

स्वीकृति पत्र दिनांक 13 नवंबर 2018 को बोली दस्तावेज की क्लॉज 28.3 के संदर्भ में 5 दिसंबर 2018 (आबंटन की तारीख से 22वें दिन) को रद्द कर दिया जाना चाहिए था। बोली दस्तावेज के क्लॉज 15.1 के अनुसार, बोली की वैधता अवधि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 120 दिन अर्थात 12 जनवरी 2019 तक थी। हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता

की क्लॉज 13.18.1 (एफ) के अनुसार, यदि एल 1 पीछे हटता है तो उसकी बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा एल2, एल3 और इसी तरह, उनके क्रम के अनुसार, पेशकश को एल1 के बराबर लाने के लिए कहा जाना है।

यह पाया गया कि एल1 की बोली ₹ 19.82 करोड़ पर निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस राशि से 6.20 प्रतिशत कम थी, जबकि एल2 बोलीदाता मैसर्ज विजय बिल्डर्स, सिरसा की बोली निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस से 6 प्रतिशत कम तथा ₹ 19.87 करोड़ अर्थात् ₹ पांच लाख एल1 से अधिक थी। तथापि, 5 दिसंबर 2018 को स्वीकृति पत्र को रद्द न करने और एल2 को बातचीत के लिए नहीं बुलाने के कारण, हरियाणा पुलिस आवास निगम ने अवसर खो दिया, क्योंकि बोली की वैधता केवल 12 जनवरी 2019 तक थी।

परिणामस्वरूप, प्रबंध निदेशक, हरियाणा पुलिस आवास निगम ने मई 2019 में पुनःनिविदाएं आमंत्रित कीं और जून 2019 में निविदाएं खोली, जिसमें दो बोलीदाताओं ने भाग लिया और मैसर्ज विजय बिल्डर्स, सिरसा (पहले की निविदा में एल2) को ₹ 20.90 करोड़ (निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस की ₹ 21.13 करोड़ राशि से 1.12 प्रतिशत कम) से सबसे कम पाया गया। इस फर्म को जुलाई 2019 में दो वर्ष की समय-सीमा के साथ कार्य आबंटित किया गया था। एजेंसी ने अक्तूबर 2021 में कार्य पूरा किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरियाणा पुलिस आवास निगम ने 14 सितंबर 2018 को निविदाओं की प्राप्ति के संबंध में संदेहपरक दृष्टिकोण अपनाया क्योंकि 26 सितंबर 2018 को 12 दिनों के बाद वित्तीय बोलियां खोली गईं, निविदा अनुमोदन समिति ने 23 अक्तूबर 2018 को अर्थात् निविदा प्राप्ति के 40 दिन बाद एल1 के पक्ष में निविदा को मंजूरी दी। कार्यकारी अभियंता, मधुबन ने 13 नवंबर 2018 को अर्थात् निविदा प्राप्ति के 60 दिनों के बाद स्वीकृति पत्र जारी किया। उसके बाद भी जब एल1 ठेकेदार ने 21 दिनों के अंदर निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं की और संविदा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं आया (5 दिसंबर 2018 तक), कार्यकारी अभियंता ने स्वीकृति पत्र को रद्द करने के लिए और 101 दिनों तक प्रतीक्षा की। इस प्रकार निविदा प्राप्त होने से लेकर बोलीदाता के स्वीकृति पत्र को रद्द करने तक कुल 182 दिनों का समय लगा। इसके परिणामस्वरूप एल2 बोलीदाता को बुलाने का अवसर खो गया, जिसकी बोली सिर्फ ₹ पांच लाख से अधिक थी (0.2 प्रतिशत अंतर)। हरियाणा पुलिस आवास निगम को उन निविदाओं को वापस लेना पड़ा जिनमें पहले की निविदा का एल2 ₹ 1.03 करोड़ (₹ 20.90 करोड़ - ₹ 19.87 करोड़) के अंतर के साथ एल 1 बन गया था। यदि हरियाणा पुलिस आवास निगम द्वारा स्वीकृति पत्र को समय पर रद्द कर दिया जाता और एल2 को हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के खंड 13.18.1(एफ) के अंतर्गत बातचीत के लिए बुलाया जाता, तो कम कीमत पर कार्य के निष्पादन की संभावना थी। बोलीदाता निविदा वैधता अवधि अर्थात् 12 जनवरी 2019 तक उसके द्वारा उद्धृत दरों से बाध्य था।

इस प्रकार, हरियाणा पुलिस आवास निगम द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी के साथ-साथ स्वीकृति-पत्र को रद्द करने में देरी के कारण ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया था, जब ठेकेदार 21 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल रहा।

29 मार्च 2022 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी और जवाब में विभाग ने अप्रैल 2022 में उत्तर दिया कि विभिन्न लिखित तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद (दिसंबर 2018 और मार्च 2019 के मध्य), एजेंसी ने न तो समझौते पर हस्ताक्षर किए और न ही अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति जमा की। विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर निष्पादन प्रतिभूति जमा की जानी चाहिए।

सिफारिश: राज्य सरकार निविदा प्रकरणों को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए तंत्र बनाने पर विचार करे। बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहने पर भी स्वीकृति निरस्त करने में विलंब होने पर अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की जाए।

चंडीगढ़ **(नवनीत गुप्ता)**

दिनांक: 07 फरवरी 2023 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 15 फरवरी 2023 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**